



प्रकाशक :

भारतीय मजदूर संघ

रामनरेश भवन, तिलक गली, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-110055

फोन न० : 7520654

बढ़ती मंहगाई-घटता सूचकांक

लेखक
रामप्रकाश मिश्र

प्रकाशक
भारतीय मजदूर संघ
रामनरेश भवन, तिलक गली

पहाड़गंज नयी दिल्ली-110055

दूरभाष:7520654

लेखक रामप्रकाश मिश्र
प्रकाशक भारतीय मजदूर संघ
प्राप्ति स्थान भारतीय मजदूर संघ
रामनरेश भवन-तिलक गली
पहाड़गंज-नयी दिल्ली-110055
दूरभाष-7520654

मूल्य 10 रूपये

मुद्रक मातृभूमि-नयी दिल्ली
फोन 7516048

विषय प्रवेश

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा प्रतिमाह संकलित किया जाता है-का देश के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए बहुत बड़ा महत्व है। इनके मंहगाई भत्ते और वेतन पुनरीक्षण का कार्य समय-2 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ही आधार मानकर किया जाता है। वेतन और मंहगाई का प्रभाव जहां कर्मचारियों और मजदूरों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर पड़ता है वहीं कार्यक्षमता बढ़ाने एवं उत्पादन की स्थिति में सुधार लाने पर भी पड़ता है। इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। खेद है कि इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी बहुत कम लोगों को है। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी और मजदूर इस विषय को समझ नहीं सकते हैं। इसके बारे में यदि उन्हें जानकारी दी जायेगी तो वे इसे भली प्रकार समझ सकते हैं। इसकी अवधारणा (Concept) इसके संगणना के तरीके (Computation) अर्थ और इस्तेमाल के विषय में अनेक भ्रान्तियां भी हैं, जिसके कारण इसकी समय समय पर तीव्र आलोचना भी होती है। अतः मूल्य सूचकांक, जिसका प्रारम्भ 20 वीं सदी के दूसरे दशक के बाद हुआ है-की विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक सुझाव भी आये हैं। इसके संकलन करने, केन्द्र स्थान तय करने, स्थान के बढ़ाये जाने तथा ऐसे उद्योग, जिनके मजदूरों के माध्यम से इन अंकों का संकलन किया जाता है-के निश्चितीकरण आदि विषयों की जानकारी कर्मचारी तथा मजदूरों को रहना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह एक लघु प्रयास है। इस प्रयास में हमें कितनी सफलता मिली है इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकेंगे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जिसने भी कुछ लिखा है या जानकारी देने का प्रयास किया है, उसकी भाषा अंग्रेजी रही है। इस कारण यह विषय अंग्रेजी के जानकार लोगों तक ही सीमित रह गया। इस सीमा को लांघने के लिए ही यह पुस्तक हिन्दी में लिखी गई है। भाषा हिन्दी होने के कारण इसे अधिक लोग पढ़ एवं समझ सकेंगे।

यह विषय जटिल है, ऐसी श्रमिक क्षेत्र में चर्चा है। बार बार की चर्चा ने इसे जटिलतम बना दिया है, जब कि ऐसा नहीं है। प्रयास करने व समझाने से मजदूर इसे समझ सकता है।

पुस्तक आप के हाथ में है। पढ़ें और समझें तथा अन्य कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करें। इसी कार्य में हमारे प्रयास की सार्थकता निहित है।

- रामप्रकाश मिश्र

सूचकांक की पृष्ठभूमि

आज जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से जाना जाता है उसका नाम प्रारंभिक काल में जीवन मूल्य सूचकांक (निर्वाह खर्च सूचकांक) था। भारत में 20 वीं शताब्दी के प्रथम विश्वयुद्ध (1914 से 1918) के समय वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई अर्थात् काफी मंहगाई बढ़ी, जिससे कर्मचारी एवं मजदूर, जो वेतन भोगी थे उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई। श्रमिक बढ़ती हुई मंहगाई के कारण काफी त्रस्त था। जो वेतन उसे मिल रहा था उससे तो उसकी दो जून की रोटी मिलना भी कठिन हो गया था। यह सब बातें केवल मजदूर ही अनुभव नहीं कर रहे थे बल्कि सेवायोजक और राज्य सरकारें भी अनुभव कर रहीं थीं। बढ़ी हुई मंहगाई के कारण श्रमिकों को काफी कठिनाई थी। इसी चिन्ता के कारण प्रान्तीय सरकारों ने श्रमिकों के पारिवारिक बजट की जांच करके जीवन मूल्य सूचकांक (निर्वाह मूल्य सूचकांक) निकालना प्रारम्भ किया।

इस प्रकार की प्रथम कार्यवाही बिहार के औद्योगिक केन्द्रों में की गई। बम्बई में 1921 में, सोलापुर में 1923 में तथा अहमदाबाद में 1926 में की गई। यद्यपि इस प्रकार की जांच का आधार वैज्ञानिक नहीं था, किन्तु जांच से कुछ अनुमान तो आया कि मंहगाई कितनी बढ़ गई है। रायल कमीशन ने भी मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में 1931 में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षणोपरान्त उसने भी अनुभव किया कि जहां कहीं भी औद्योगिक केन्द्रों पर जीवन मूल्य सूचकांक निकालने का कार्य हो रहा है-उसमें काफी त्रुटियां हैं। रायल कमीशन आन लेबर इन इण्डिया ने विश्वास योग्य जीवन मूल्य सूचकांक-निर्वाह खर्च निकालने के लिए कुछ सूचकांक दिशा-निर्देश भी किए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त (आजकल उत्तर प्रदेश) में पारिवारिक खर्च की जांच की गई। इनकी देखा देखी कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने यहां कुछ एक औद्योगिक केन्द्रों का जीवन मूल्य सूचकांक-निर्वाह खर्च सूचकांक निकाला। कहने का तो यह सूचकांक अत्यन्त वैज्ञानिक थे, किन्तु इसमें भी अनेक त्रुटियां थीं, जिसके कारण आगे चलकर काफी सुधार करना पड़ा। सुधार करने के बावजूद इसमें त्रुटियां थीं और आज भी वर्तमान हैं।

वर्ष 1939 में जब द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ तो मंहगाई और बढ़ गई। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई इसलिए बढ़ती हुई मंहगाई से मजदूरों को राहत देने तथा उस मंहगाई को झेलने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में मंहगाई भत्ता और अन्य प्रकार की आर्थिक राहत दी गई। यदि यह कहा जाय कि "मंहगाई भत्ते के जनक विश्व युद्ध हैं" तो अनुचित नहीं होगा। रावकोर्ट आफ इन्व्वायरी (1940) के परिणाम स्वरूप वर्ष 1940 में जब रेल कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिए जाने पर विचार हो रहा था तो उस समय जितने मूल्य सूचकांक उपलब्ध थे उसमें कोई भी तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। बम्बई का भी मूल्य सूचकांक कुछ वस्तुओं के मूल्य बिना पता लगाए ही बना था जबकि बम्बई कार्यालय इसके लिए अधिक समय भी देता

था और समय समय पर जांच भी करता था, फिर भी इसकी जांच त्रुटिपूर्ण थी। आश्चर्य तो इस बात का था कि अन्य केन्द्रों की पद्धति, जहां सूचकांक निकाले जाते थे, अधिक दोषपूर्ण थी, किन्तु उनकी आलोचना कम होती थी और उनकी तुलना में बम्बई की आलोचना अधिक। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और देश के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों का “जीवन मूल्य सूचकांक” निर्वाह खर्च सूचकांक योजना 1941” के अन्तर्गत कास्ट आफ लिविंग डाइरेक्टरेट द्वारा निकलवाया। इसके पूर्व राज्य सरकारों द्वारा 12 स्थानों पर मूल्य सूचकांक निकाले जाने का कार्य हो रहा था। वे स्थान, निम्नांकित हैं-

	राज्य की तालिका	संकलन का आधार वर्ष
1.	बम्बई शहर	जुलाई 1933-जून 1934
2.	अहमदाबाद	अगस्त 1926-जुलाई 1927
3.	सोलापुर	फरवरी 1927 - जनवरी 1928
4.	जलगांव	अगस्त 1939
5.	नागपुर	अगस्त 1939
6.	मद्रास शहर	जुलाई 1935-जून 1936
7.	कानपुर	अगस्त 1939
8.	कलकत्ता	1944
9.	बंगलौर	जुलाई 1935 - जून 1936
10.	मैसूर	जुलाई 1935 - जून 1936
11.	त्रिचूर	अगस्त 1939
12.	हैदराबाद	1939

आधार वर्ष 1944 = 100 की श्रृंखला:-

आधार वर्ष 1944 की श्रृंखला के बारे में आम चर्चा थी कि लेबर ब्यूरो ने, जो श्रृंखला तैयार की थी उसमें बहुत दोष थे। विभिन्न राज्यों ने जो तद्व समितियां गठित किया था उन समितियों की यह राय थी, कि सूचकांक का नए सिरे से पुनः संकलन किया जाय। आधार वर्ष 1944 की श्रृंखला में वे सभी दोष पाये गये, जो 1926-27 से चल रही विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों की श्रृंखला में थे। श्रृंखला, जिनका आधार वर्ष 1944 था उसमें 15 केन्द्र थे और उनसे पूर्व की श्रृंखलाओं के केन्द्र 12 थे सब मिलाकर 27 केन्द्रों की श्रृंखला में केवल फैक्ट्री एरिया के केन्द्र शामिल थे। इसमें माइंस और प्लांटेशन के केन्द्र शामिल नहीं थे। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने के लिए पहला “कार्य भार” आवंटन का किया गया। यह भी अलग अलग स्थिति में किए गये। पहली स्थिति में राज्यों में जितने पंजीकृत कारखाने थे और उसमें जितने कर्मचारी थे उनकी औसत संख्या के आधार पर केन्द्रों के भार दिये गए। इसलिए फैक्ट्री एक्ट 1934 में पंजीकृत कारखानों के कर्मचारियों की संख्या ली गई। इसी संख्या को 1944 का

आधार माना गया। दूसरी अवस्था में 'भार' विभिन्न आद्यौगिक केन्द्रों में विभाजित किया गया। कुछ ऐसे केन्द्र थे जहाँ पर 'भार' अधिक था इसलिए यदि कहा जाय कि आधार वर्ष 1944=100 का जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने का प्रयास किया गया उसने भी श्रम जगत को हतास और निराश किया तो अनुचित नहीं होगा।

आधार वर्ष 1949-100 की श्रृंखला:-

इसके पूर्व चल रही सभी श्रृंखलाओं को आधार वर्ष 1949=100 पर लाया गया। इसका तरीका भी वही अपनाया गया जो आधार वर्ष 1944=100 के लिए अपनाया गया था। 1949 तक रजिस्टर्ड सभी कारखानों के कर्मचारियों की संख्या पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया गया। यद्यपि यह सारा कार्य आधार वर्ष 1944=100 को बदलने के लिए किया गया था। ऐसे केन्द्र उस समय 27 थे। इसमें 1926-27 से जिन केन्द्रों पर सूचकांक संकलन का कार्य प्रारम्भ हुआ था और 15 अन्य नये केन्द्र शामिल थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आधार वर्ष 1944 तथा 1949 की श्रृंखलायें केवल अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की रस्म अदायगी के सिवा और कुछ नहीं थीं। श्रमिकों को इससे भी कोई राहत मिलने की लेशमात्र गुंजाइश नहीं थी।

आधार वर्ष 1960=100 की श्रृंखला:-

आधार वर्ष 1960 की नई श्रृंखला लाने से पूर्व यह विचार किया गया कि इसके पूर्व की सभी श्रृंखलाओं में कुछ दोष थे, किन्तु परिवर्तन गुणक सूत्र तय करने से पूर्व इनमें आवश्यक सुधार किया गया। आधार वर्ष 1960=100 के लिए कारखाना, खदान, तथा प्लान्टेशन से सम्बन्धित 50 औद्योगिक केन्द्र चुने गये, जिसमें 32 फैक्ट्री एरिया, 10 प्लान्टेशन एरिया, एवं 8 खदान एरिया के केन्द्र थे। फैक्ट्री एरिया के मजदूरों का विभाजन इस अनुपात में किया गया कि सूचकांक एकत्रित करने के औद्योगिक केन्द्र सभी राज्य में अवश्य हों। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि किसी भी राज्य में 5 से अधिक केन्द्र न हों। ठीक इसी प्रकार माइनिंग और प्लान्टेशन के मजदूर केन्द्रों को राज्यों में विभाजित किया गया। खदान में केन्द्र मुख्यतः कोयला, आयरन, अन्नक, मैगनीज और सोना की खदानों को शामिल किया गया। प्लान्टेशन में काफी, चाय और रबड़ के मजदूर क्षेत्र को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया।

अधिकृत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए उन आवश्यकताओं को जिन्हें पूरा करना आवश्यक था और कुछ पूर्व से स्वीकृत बातें जिन्हें पूरा करना आवश्यक था, वे निम्नांकित रही हैं:-

1. नयी श्रृंखला बनाने के लिए उसी आधार वर्ष के सूचकांक को परिवर्तन गुणक सूत्र के रूप में तैयार किया जाय जो किसी केन्द्र पर पहले से संकलित किए जाते रहे हों।

2. पारिवारिक बजट की जांच, उसी आधार पर की जाय, जो समय-समय पर तज्ञ (विशेषज्ञों) लोगों द्वारा परिभाषित थी या सुझाव के रूप में कही गई थी।
3. भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी वह संतोषप्रद हों।
4. भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यदि किसी वस्तु को विकल्प के रूप में लिया गया हो, तो वह संतोषजनक हों तथा समानुपातिक हों।
5. विभिन्न क्षेत्रों में समूची अनुमानित इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं, जिसको श्रमिक इस्तेमाल करता है और खरीदने के लिए पैसा खर्च करता है की संख्या निश्चित करते समय पूरी सतर्कता बरती जाय।

औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1960=100 पचास औद्योगिक केन्द्रों पर अलग-अलग सूचकांक के संकलन पर आधारित था। इन सभी केन्द्रों से प्राप्त सूचकांक के माध्यम से आधार वर्ष 1960 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते थे। इन औद्योगिक केन्द्रों पर उपभोग में लाई गई वस्तुएं, प्रति परिवार पर खर्च, विभिन्न सामान पर इनके खर्च का वितरण, सभी 50 केन्द्रों पर समान रूप से पाये जाते थे। इन केन्द्रों पर कमाने वालों की संख्या भी एकत्रित की जाती थी।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने के लिए 50 अनुकूल अंक (Consistent Index) सम्बन्धित आबादी समूह के उपयोग और खर्च समान आधार पर ही रखे गये। प्रति परिवार पर औसत खर्च जैसा कि 1958-59 पारिवारिक बजट के समय लिया गया था और प्रत्येक केन्द्र पर प्रति परिवार जो कमाते थे उनकी भी संख्या दिखाई गई। सभी 50 केन्द्रों को 3 प्रकार के उद्योग-कारखाना, खदान एवं रोपाई (Plantation) के क्षेत्र में संख्यात्मक अनुपात में समान रूप से विभाजित किया गया, किन्तु यह बात भी ध्यान में रखी गई कि जितनी यूनिट परिवार के लिए निर्धारित की गई थी उससे बढ़ने न पाये। यह भी ध्यान रखा गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करते समय बड़े शहरों, जहां भी कीमतों में जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव होता था के कारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रभावित न हो। जहां किसी राज्य में किसी केन्द्र की पारिवारिक संख्या बढ़ती थी तो वह संख्या अनुपात में ही ली जाती थी और संख्या बचती थी उस राज्य के अन्य केन्द्रों में वितरित किया जाता था।

कामगार परिवार की संख्या किसी राज्य के लिए नित्य रोजगार में लगे कर्मचारियों की संख्या से ली जाती थी। राज्यवार संख्या लेने के बाद राज्य के केन्द्रानुसार कामगार परिवार की संख्या से प्रत्येक परिवार के खर्च में गुणा किया गया तथा गुणनफल को औसत खर्चा मान लिया गया जो प्रत्येक केन्द्र का खर्चा भार निर्धारित करने के काम आया, जिससे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया गया।

आधार वर्ष 1960=100 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन का कार्य-कारखाना, खदान व रोपाई से सम्बन्धित 50 औद्योगिककेंद्रों से किया गया, जो निम्नांकित हैं:-

1. अन्ध्र	1. गुडूर 2. गुन्दूर 3. हैदराबाद
2. तमिलनाडू	1. कोयम्बटूर 2. कोनूर 3. मद्रास 4. मदुराई
3. जम्मू-काश्मीर	1. श्रीनगर
4. पंजाब	1. अमृतसर
5. आसाम	1. डिगबोई 2. डुमडुमा 3. लवैक, 4. मैरियानी 5. रंगापारा
6. उड़ीसा	1. बडविल 2. सम्भलपुर
7. दिल्ली	1. दिल्ली
8. महाराष्ट्र	1. बम्बई 2. नागपुर 3. सोलापुर
9. मध्य प्रदेश	1. बालाघाट 2. भोपाल 3. ग्वालियर 4. इन्दौर
10. करनाटक	1. अमाद्री 2. बंगलौर 3. चिकमंगलूर 4. कोलार गोल्डफील्ड
11. गुजरात	1. अहदाबाद 2. भावनगर
12. हरियाणा	1 जमुना नगर
13. पश्चिम बंगाल	1. आसनसोल 2. कलकत्ता 3. दारजिलिंग 4. जलपाईगुड़ी 5. रानीगंज 6. हावड़ा
14. केरल	1. अलप्पी 2. अलवे 3. मुन्दकायम
15. बिहार	1. जमशेदपुर, 2. झरिया 3. कोडरमा 4. मुँगेर 5. नोवामुण्डी
16. उत्तर प्रदेश	1. सहारनपुर 2. कानपुर 3. वाराणसी
17. राजस्थान	1. जयपुर 2. अजमेर

आधार वर्ष 1960=100 की सिरिज निकालने के पूर्व वे केन्द्र जहां 1926-27 से मूल्य सूचकांक निकाले जा रहे थे तथा इस नयी सिरिज को तैयार करने के लिए जो उनके परिवर्तित गुणक (Conversion Factor) बनाए गये, इस कारण से कानपुर, कलकत्ता, बंगलौर, मैसूर, और बम्बई के बारे में श्रमिक क्षेत्र में काफी प्रतिक्रिया हुई और आन्दोलन भी किये गये उन परिवर्तित गुणकों का विवरण निम्नांकित है।

क्र०	औद्योगिक केन्द्र	सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष	वर्ष जब से गुणक परिवर्तित किये गये	परिवर्तित गुणक
1.	हैदराबाद	अगस्त 43 से जुलाई 1944=100	फरवरी 1967	2.20

2.	जमशेदपुर	1944=100	फरवरी 1966	1.73
3.	झरिया	1944=100	जनवरी 1961	1.66
4.	मुंगेर	1944=100	फरवरी 1966	1.66
5.	अहमदाबाद	अगस्त 26 से जुलाई 1927=100	दिसम्बर 1963	3.17
6.	जमुनानगर	अप्रैल 50 से मार्च 1951=100	जनवरी 1961	1.11
7.	बंगलौर	जुलाई 1935 से जून 1936=100	जनवरी 1967	4.51
8.	कोलार गोल्ड फील्ड, जुलाई 1935 से	जून 1936=100	जनवरी 1961	4.58
9.	एलप्पी (केरल)	अगस्त 1939=100	जनवरी 1961	4.39
10.	अलवे	अगस्त 1939=100	जनवरी 1961	4.62
11.	भोपाल	1951=100	जनवरी 1961	1.11
12.	ग्वालियर	1951=100	जनवरी 1961	1.12
13.	इन्दौर	1951=100	जनवरी 1961	1.07
14.	बम्बई	जुलाई 33 से जून 1934=100	दिसम्बर 1963	4.44
15.	नागपुर	अगस्त 1939=100	जनवरी 1964	5.22
16.	सोलापुर	फरवरी 27 से जून 28=100	जनवरी 1964	3.82
17.	अमृतसर	अप्रैल 50 से मार्च 1951=100	जनवरी 1961	1.11
18.	अजमेर	1944=100	फरवरी 1966	1.83
19.	जयपुर	जुलाई 65 से जून 1966=100	जनवरी 1961	1.25
20.	कोयम्बटूर (तमिलनाडू) जुलाई 1935 से	जून 1936=100	फरवरी 1970	5.07
21.	मद्रास	जुलाई 1935 से जून 1936=100	फरवरी 1970	4.76
22.	मदुराई	जुलाई 1935 से जून 1936=100	फरवरी 1970	4.57
23.	कानपुर	अगस्त 1939=100	जनवरी 1970	4.83

24.	आसनसोल	1951=100	जनवरी 1961	1.10
25.	कलकत्ता	1944=100	जनवरी 1968	1.61
26.	दार्जिलिंग	1948=100		1.18
27.	हाबड़ा	1944=100	जनवरी 1961	1.43
28.	दिल्ली	1944=100	जनवरी 1968	1.68

उपरोक्त तालिका में औद्योगिक केन्द्र तो स्पष्ट हैं। यह वे केन्द्र हैं जहाँ 1960 की श्रृंखला लागू की गई। इन केन्द्रों पर पूर्व के सूचकांक के आधार पर मंहगाई भत्ता दिया जाना और वेतन नियमन का कार्य हो रहा था, तो वर्ष 1960 की सिरिज में यदि परिवर्तित गुणक से गुणा कर देंगे तो पूर्व की श्रृंखला के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकल आयेंगे। इसी उद्देश्य से परिवर्तित गुणक दिये गये हैं।

इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि पुरानी सिरिज में कोई दोष है तो वह नई सिरिज में अवश्य आयेगा। इससे परिवर्तन गुणसूत्र (Conversion Factor) भी दोष पूर्ण तैयार होंगे। विश्व युद्ध के समय प्रकाशित होने वाली सिरिज में समानता नहीं थी, क्योंकि इनके तैयार करने के आधार भी अलग अलग थे और संकलन करने के ढंग में भी त्रुटियाँ थीं। इसलिए जब बम्बई की आधार वर्ष 1933-34 मानकर बनी श्रृंखला को आधार वर्ष 1960=100 की श्रृंखला में परिवर्तित किया गया तो मजदूर क्षेत्र में काफी शोर शराबा हुआ। मजदूरों की ओर से यह मांग जोरदार ढंग से उठाई गई कि इसकी जाँच के लिए कुछ तज्ञ लोगों की समिति गठित की जाय। इस मांग पर एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम “लकड़ा वाला समिति” थी। इसी प्रकार की समिति का गठन अहमदाबाद में किया गया, जिसका नाम “देशाई समिति”, जयपुर और अजमेर के लिए “माथुर समिति” का गठन किया गया। डा० सम्मुगा सुन्दरम को मद्रास की सिरिज को जाँच करने के लिए कहा गया। कलकत्ता, कानपुर, बंगलौर और मैसूर के सूचकांक की जाँच के लिए डा० रामभूर्ति की अध्यक्षता में एकतज्ञ समिति का गठन किया गया। इस प्रकार जाँच के बाद आधार वर्ष 1960 में परिवर्तित श्रृंखलाओं में यथावश्यक सुधार भी किया गया।

बम्बई के लिए गठित “लकड़ावाला समिति”:-

बम्बई की सरकार ने अगस्त 1963 में एक समिति का गठन किया, जो “लकड़ावाला समिति” के नाम से जानी जाती है। इस समिति का काम यह था कि वह यह पता लगाये कि आधार वर्ष 1960=100 की जो श्रृंखला तैयार की गई है क्या उसे पुनः ठीक किया जा सकता है? यदि हां तो क्या ठीक करना है?

भारत सरकार ने, जो नई श्रृंखला प्रकाशित की है वह श्रृंखला बम्बई के मजदूरों के लिए कैसी है? सरकार श्रृंखला को बम्बई के मजदूरों पर लागू करना चाहती है। बम्बई की वर्तमान

श्रृंखला को परिवर्तित कर उससे जोड़ा जा सकता है। तज्ञ समिति ने, तैयार चाय, मकान भत्ता, वस्त्र समूह के विषय में संशोधन करने के सम्बन्धमें अपनी अनुशंसा दी। परिणामस्वरूप परिवर्तनीय गुणक 4.20 के स्थान पर बदल कर 4.44 हो गया। नई श्रृंखला में और कुछ ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लकड़ावाला समिति ने कहा। समिति की अनुशंसायें स्वीकार कर ली गईं और लागू भी हो गईं। यह बात भी सुनिश्चित कर दी गई कि जिन त्रुटियों की ओर लकड़ा वाला समिति ने संकेत किया है वह नये सूचकांक में दोहरायी न जाय।

अहमदाबाद के लिए गठित देसाई समिति:-

अहमदाबाद के लिए बड़ौदा स्थित एम. एम. विश्व विद्यालय के एग्रीकल्चर एकोनामिक्स विभाग के प्रोफेसर डा० एम. वी. देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो देसाई समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने अहमदाबाद के सूचकांक की जांच की। इस समिति को यह काम सौंपा गया कि वह उस समय की अहमदाबाद की श्रृंखला की जांच करके बताए कि क्या उसमें कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो समिति बताए कि क्या संशोधन किये जाय? तथा अहमदाबाद के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को वर्तमान श्रृंखला के साथ कैसे समायोजित किया जाय। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि पारिवारिक बजट की जांच का समय, जिस पर अहमदाबाद की तथाकथित नई श्रृंखला आधारित है उसका जांच वर्ष भिन्न है। आधार वर्ष 1926-27 जब अहमदाबाद की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला प्रारम्भ हुई थी उस समय कपड़े के मूल्य और मकान के किराये और आधार वर्ष 1960 के पारिवारिक बजट की जांच के समय कपड़े के मूल्य और मकान किराये में बहुत फर्क था। अतः 2.98 के स्थान पर परिवर्तन गुणक यदि 3.17 कर दिया जाए तो कर्मचारियों को कुछ राहत मिल जायेगी। समिति ने यह भी कहा कि जिन त्रुटियों की ओर संकेत किया गया है वे भविष्य में पुनः दोहराईं न जायं।

दिल्ली के लिए गठित तज्ञ समिति:-

दिल्ली प्रशासन ने जुलाई 1964 में एक तज्ञसमिति का गठन करके यह बात सुनिश्चित करने को कहा कि समिति मूल्य संग्रह के तरीके और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन के विषय में जांच करके बताये और यह भी बताये कि आधार वर्ष 1960 के अनुसार जो श्रृंखला प्रकाशित की गई है क्या उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है? यदि हां तो किस प्रकार के संशोधन किए जायं। 8 अक्टूबर 1965 को तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक हुई तो उसने भी समिति की अनुशंसायें स्वीकार करने को कहा। तदनुसार जो परिवर्तन गुणक आधार वर्ष 1960 और दिल्ली के पुराने आधार वर्ष 1944 के मध्य 1.58 था वह बदल कर 1.68 किया गया। समिति ने यह भी कहा कि पुरानी सीरिज के भार आरेख (Weighting Diagram) को बदल दिया जाय, इसके साथ ही तज्ञ समिति ने अन्य अनुशंसायें करते हुए कहा कि दिल्ली के

कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए विश्व युद्ध के तुरन्त बाद ऐसी आवश्यकता हुई कि इनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला तैयार की जाय। उस अनुसार लेबर ब्यूरो के परामर्शानुसार यह प्रयास किया गया कि आधार वर्ष अगस्त 1939 की श्रृंखला को आधार वर्ष 1944 की श्रृंखला में बदल दिया जाय। ऐसा करने के कारण परिवर्तन गुणक 2.61 आया, किन्तु बाद की घटना क्रम के अनुसार ऐसा ध्यान में आया कि परिवर्तन गुणक निकालने की जो पद्धति थी उनमें कुछ त्रुटियाँ थीं, क्योंकि आधार वर्ष 1944 के मकान समूह का भार वही माना गया था, जो आधार वर्ष 1939 का था। जैसे अन्य वस्तुओं के परिवर्तनीय भार के लिए तरीका अपनया गया था वही तरीका मकान समूह के भार के लिए भी अपनाया गया था इसलिये 1939-1944 के मध्य मकान का सूचकांक स्थिर रहा।

लेबर ब्यूरो के निदेशक ने इन त्रुटियों को डी. सी. एम. के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के मध्य उत्पन्न विवादों की आर्बीट्रेशन कार्यवाही के समय उजागर किया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि त्रुटियों को दूर किया गया होता तो परिवर्तनीय गुणक 2.61 से बढ़कर 2.82 हो जाता। इतना ही नहीं तो 8 प्रतिशत तक वृद्धि होती। यों तो पंचनिर्णायक जस्टिस वैद्यलिंगम् के विचार पर यदि आगे सोचा जाय तो, उनका विचार तो जो बढ़ोत्तरी हुई उसके समाप्त करने का कारक बन जाता।

विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक तज्ञ समिति का गठन किया जाय की मांग चल ही रही थी कि सेवायोजकों ने आगे की कार्यवाही करते हुए सारा विवाद न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस विवरण में न जाकर केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि सूचकांक एकत्रित करने की पद्धति एवं एक आधार वर्ष से दूसरे आधार वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पहली श्रृंखला को दूसरे में बदलते समय अनियमिततायें बढ़ती गई हैं, जो उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है। गलती किससे हुई, किससे नहीं इस वाद-विवाद में न फंसकर इतना ही कहा जा सकता है कि सब नुकसान कर्मचारियों का ही हुआ। इसलिए इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। इसी से मूल्य सूचकांक की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

मद्रास सूचकांक के लिए तज्ञ समिति:-

राज्य सलाहकार परिषद की अनुशंसा पर उस समय की मद्रास की सरकार ने मद्रास के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के परीक्षण हेतु एक विशेष समिति का गठन किया। राज्य सलाहकार परिषद का सुझाव यह था कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच पहले किसी एक तज्ञ व्यक्ति द्वारा की जाय और वह तज्ञ व्यक्ति अपनी अनुशंसाओं की रिपोर्ट एक दूसरे व्यक्ति को सौंप दे, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो। मद्रास विश्व विद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर शनमुगा सुन्दरम ने अपनी रिपोर्ट दि० 20 अप्रैल 1967 में कहा कि-जो परिवर्तन गुणक 4.62

है उसे बदलकर 4.76 किया जाय। उन्होंने यह अनुशंसा करते समय चावल, दूध, सिनेमा के खर्चे और मकान किराये के सम्बन्ध में कुछ सुधार करने को भी कहा। उनके द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का परिवर्तन गुणक मद्रास की सरकार ने स्वीकार कर लिया और उसे फरवरी 1970 से लागू भी कर दिया और यह भी अपेक्षा की गई कि जो त्रुटियां पुरानी सीरिज में थीं वह त्रुटियां अब लेबर ब्यूरो द्वारा तैयार की गई श्रृंखला में नहीं रहनी चाहिए।

कलकत्ता, कानपुर, बंगलौर और मैसूर के सूचकांक के लिए गठित तज्ञ समिति:-

एक तज्ञ समिति का गठन भारत सरकार द्वारा डा० राममूर्ति की अध्यक्षता में 2 फरवरी 1967 को किया गया। इस समिति का यह कार्य था कि वह इस बात की जांच करे कि लेबर ब्यूरो शिमला ने पुरानी श्रृंखला को आधार वर्ष 1960 की श्रृंखला में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तन गुणक में कोई अनियमितता तो नहीं बरती है। कारण कि कानपुर, कलकत्ता एवं बंगलौर के भाव में काफी अन्तर थे। समिति यह भी जांच करे कि आधार वर्ष 1949=100 की श्रृंखला में क्या किसी प्रकार का समायोजन हो सकता है? समायोजन के पूर्व यदि कोई त्रुटि ध्यान में आती हो तो वह भी बताये।

समिति ने अपनी अनुशंसाये 31 अक्टूबर 1967 को प्रस्तुत की। अनुशंसायें प्रस्तुत करने से पूर्व बंगलौर के सूचकांक में, जो वास्तविक त्रुटियां थीं उसका सुधार किया गया, साथ ही राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करके भारत सरकार ने तज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गई और तदनुसार जो परिवर्तन गुणक में बदल हुए उसका विवरण निम्नांकित है।

केन्द्र का नाम	परिवर्तन गुणक जो लेबर ब्यूरो द्वारा क्रियान्वित किए गए	विभिन्न समितियों द्वारा अनुशंसित एवं केन्द्र सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत परिवर्तन गुणक	परिवर्तन गुणक के बदले जाने के लिए जिम्मेदार वस्तुएं
1. कानपुर	4.74	4.83	मकान किराया सूचकांक
2. कलकत्ता	1.51	1.61	मकान किराया एवं वस्त्र सूचकांक
3. बंगलौर	4.35	4.47	मकान किराया एवं
	4.39	4.51	घी के सूचकांक
4. मद्रास	4.62	4.76	चावल, दूध, सिनेमा के खर्चे तथा मकान भत्ते का सूचकांक
6. अहमदाबाद	2.98	3.17	कपड़ा एवं मकान किराया सूचकांक

7.	बम्बई	4.20	4.44	घी, तैयार चावल, मकान किराया एवं कपड़ा सूचकांक
8.	मैसूर	सामान्य सूचकांक वर्ष 1960 आधार वर्ष 1935 1936 पुनरीक्षित 447 से 474		चावल, दूध, सिनेमा टिकट तथा मकान भत्ता का सूचकांक

जांच से पता चला कि परिवर्तन गुणक को बदला जाय। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सूचकांक निकालने में त्रुटियां थीं, जिसके कारण यह परिवर्तन-गुणक बदलने की आवश्यकता पड़ी। आगे चलकर यह देखने को मिलेगा कि यह अनियमितता बराबर बनी ही रही और जिसके कारण श्रमिकों में असंतोष हुआ।

कलकत्ता मूल्य सूचकांक जांच के लिए तज्ञ समिति का गठन:-

कलकत्ता के लिए मूल्य सूचकांक की श्रृंखला राममूर्ति समिति द्वारा जांची गई। समिति ने आधार वर्ष 1944=100 और आधार वर्ष 1960=100 के मध्यकाल के सूचकांक जो बंगाल सरकार के श्रमायुक्त द्वारा संकलित की गयी थी उसकी जांच की और अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करते हुए कहा कि जो परिवर्तन गुणक तय किये गये हैं वह सही हैं। राममूर्ति कमेटी ने उस सिरिज (श्रृंखला) की जांच नहीं की, जो बंगाल सरकार के श्रमायुक्त द्वारा सूचकांक संकलन करके आधार वर्ष अगस्त 1939=100 तैयार की गई थी, जबकि राममूर्ति समिति द्वारा इस सिरिज की जांच करना चाहिए था। कारण कि जो त्रुटियां आधार वर्ष 1939 की सिरिज में थी वह परिवर्तित गुणक के साथ आधार वर्ष 1944 में रहना स्वाभाविक है और वे समिति को चाहिए था कि कलकत्ता सिरिज के लिए जब से पहली सिरिज आधार वर्ष 1939 को होने वाली क्षति को येनेकन प्रकरण पूरा किया जा सकता, जो नहीं हुआ। यह एक चिन्ता एवं शंका उत्पन्न करने वाला विषय था और इससे राममूर्ति समिति की अनुशंसाओं पर संदेह होने की गुर्जाइश बनी रह गई। इसलिए कलकत्ता के श्रम संगठनों ने स्वतंत्र तज्ञ समिति द्वारा पुनः जांच कराने की मांग की।

इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जून 1973 को कलकत्ता विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख श्री एस. के भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति को जांच करके बताना था कि क्या वर्ष 1939 की श्रृंखला आधार तथा भारत सरकार द्वारा तैयार की गई श्रृंखला आधार वर्ष 1960 में त्रुटियां थीं? मूल्यों के संकलन और उसके वितरण में कोई अनियमितता बरती गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 1974 में प्रस्तुत करते हुए कहा कि आधार वर्ष 1939 की श्रृंखला के मकान किराये और विविध (फुटकर) वस्तुओं के सूचकांक में सुधार किया जाए। और 1939 तथा 1944 के परिवर्तन गुणक में सुधार कर 2.63 से 3.13 किया जाय। समिति ने आधार वर्ष 1944 की सिरिज को आधार वर्ष 1960

की सिरीज में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तन गुणक में किसी प्रकार के सुधार की बात नहीं कही। पश्चिम बंगाल की सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया।

अनेक तज्ञ समितियों की जांच और प्रस्तुत प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर आधार वर्ष 1960 में 32 कारखाना केंद्रों पर मकान किराया की जांच 6 माह में एक बार करने का निश्चय किया गया तथा तज्ञ समिति ने जिन अन्य त्रुटियों की ओर संकेत किया था उन्हें जानबूझ कर नई श्रृंखला 1960 तैयार करते समय छोड़ दिया गया। उल्लेखनीय बात यह थी कि तज्ञ समिति ने पहले से चली आ रही श्रृंखला को जब आधार वर्ष 1960 में परिवर्तित किया गया तो ऐसे परिवर्तन गुणक में किसी प्रकार का सुधार करने को भी नहीं कहा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:-

औद्योगिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर अपने निर्णय दिए हैं। ऐसे ही एक औद्योगिक विवाद में जिसमें अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसियेशन अहमदाबाद और अन्य 67 सेवायोजकों का एक पक्ष था तथा दूसरा पक्ष कर्मचारियों का 'टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन' था।

विवाद यह था कि वर्ष 1958-59 में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जो परिवारिक खर्च की जांच की गई थी वह विश्वसनीय थी या नहीं, क्योंकि यह जांच जिस नमूने के आधार पर की गई थी वह अपर्याप्त था तथा साक्षात्कार के लिए जो तरीका अपनाया गया था, वह संतोषजनक नहीं था।

गुजरात सरकार द्वारा जो परिवर्तन गुणक 3.17 अपनाया गया था, वह अवैज्ञानिक एवं तर्क रहित अथवा विवेकहीन था।

सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 1965 को निर्णय देते हुए कहा कि "भेरी राय में विवादित विषय के बारे में जो जांच करते समय नमूने की मात्रा की अपर्याप्तता की बात कही गई है यह बात अपीलकर्ता के विरुद्ध जाती है।

अपीलकर्ता की अपील को रद्द कर दिया है उससे हम संतुष्ट हैं। अपीलकर्ता का यह कहना कि सर्वेक्षण जो साक्षात्कार द्वारा किया गया था और उसके लिए जो तरीका अपनाया गया था, वह भी संतोषजनक नहीं था, उसकी इस दलील को भी औद्योगिक न्यायालय ने निरस्त कर दिया, यह बात भी ठीक है।"

"हमारे ध्यान में यह बात आ गई कि गुजरात सरकार ने परिवर्तनीय गुणक जो 3.17 रखा है अपीलकर्ता ने इसके बारे में कोई अपील नहीं की है या आपत्ति नहीं उठाई है। औद्योगिक

न्यायालय ने जो यह अर्थ निकाला है कि सरकार द्वारा घोषित परिवर्तनीय गुणक 3.17 गलत नहीं था-इस निर्णय से हम संतुष्ट हैं।

इस आधार पर बिना हिचक के यह अर्थ निकाला जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल अंकों में ही कोई त्रुटि नहीं पाया बल्कि लेबर व्यूरो द्वारा आधार वर्ष 1969=100 के अंक जो संकलित किये गए हैं वह भी तकनीकी आधार पर सही हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की अनुशंसाएँ:-

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी इस ओर ध्यान दिया और कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन और उसे तैयार करने के बारे में शिकायतें आई हैं। इस पर विचार करना चाहिए। आयोग का कहना था कि सूचकांक संग्रह करने वाले अधिकारियों, और उस सूचकांक को इस्तेमाल करने वालों के बीच अच्छे सम्बन्ध होना चाहिए, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रकाशित करने से पूर्व सूचकांक सही है के बारे में उन्हें विश्वास प्राप्त करना चाहिए।

- अ राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी अनुशंसा क्रमांक 292 में कहा है कि-उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इस्तेमाल करने वालों को सूचकांक तैयार करने से पूर्व आवश्यक तकनीकी सूचनाएँ क्रमबद्ध नियमित दी जानी चाहिए।
- ब परिवारक बजट जांच के समय औपचारिकता के नाते औद्योगिक कर्मचारियों से सलाह मशविरा करना चाहिए।
- स श्रमायुक्त कार्यालय में क्षेत्रवार सप्ताह में किसी वस्तु की व्या कीमत थी, वह सूची टांगना चाहिए, ताकि कर्मचारी सूची में लिखित कीमतों के बारे में अपने संदेह को प्रकट कर सके और अधिकारी भी उनके द्वारा उठाई गई शंकाओं का समुचित निराकरण कर सकें। शंका समाधान करने वाले अधिकारी, जो मूल्य संकलन का काम करते हैं उनसे सीनियर होना चाहिए और जो कीमतें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निकालने के लिए प्रयोग किए जाने वाली हों, को प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- द प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु के सम्बन्ध में (11) जो तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई हों (111) समस्या के समाधान हेतु जो उपाय सोचा गया हो-ये सभी बातें सूचकांक तैयार करने से पूर्व प्रयोगकर्ता को बताने के लिए अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्रयोगकर्ता की शंकाओं का समुचित समाधान हो सके। वैसे लेबर व्यूरो यदि कोई उससे सूचकांक के बारे में विशेष जानकारी मांगता है, तो उसे वह देता है। सूचकांक के बारे में व्यूरो ने विस्तृत मौलिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। व्यूरो का यह भी कहना है कि इसलिए इस सम्बन्ध में प्रयोगकर्ता से समय समय पर विचार विमर्श करने का प्रश्न ही नहीं आता। व्यूरो

का यह भी कहना है कि इम्प्लायर्स आर्गनाइजेशन और ट्रेडयूनियन संगठनों तथा प्रान्त के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर पारिवारिक बजट की जांच और उसके परिणामों के उपयोग के बारे में बराबर विचार विमर्श किया जाता है। जहां तक चार्ट लगाने की बात है वह भी किया जाता है-विशेषतः बम्बई केन्द्र पर। लेबर व्यूरो का यह भी कहना है कि प्रान्तों के श्रमायुक्तों से उसने इस बात की प्रार्थना की है कि श्रमायुक्त इस प्रकार के चार्ट प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। लेबर व्यूरो की यह शिकायत है कि उपयोगकर्ता उसके द्वारा जो व्यवस्था की गई है, का वे इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेबर व्यूरो 20- चुनी हुई वस्तुओं को प्रतिमाह प्रकाशित होने वाले (Indian Labour Journal) प्रकाशित करता है।

लेबर व्यूरो ने जो कुछ कहा है, उसमें कितनी सत्यता है-यह मैं तो स्वयं अनुभव कर रहा हूं। श्रमायुक्त कार्यालय में केवल मूल्य सूचकांक के अतिरिक्त किसी भी विषय का चार्ट देखने को नहीं मिलता है और श्रमायुक्त कार्यालय तो इस बात को विस्तार पूर्वक बताने में पूर्णतः अपने को अक्षम समझता है। प्रान्तीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में कब और किस प्रान्त में प्रान्त स्तर के श्रमिक नेताओं से विचार विमर्श किया गया यह बात न तो लेखक ने कभी सुनी है और न देखा है और न ही कभी भाग लेने का मौका मिला है। इतना जरूर है कि 1982 की सिरज प्रकाशित होने से पूर्व कुछ क्षेत्रीय गोष्ठियां हुई थीं, जिसमें श्रमिक नेताओं तथा सेवायोजक पक्ष के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये थे। यह बात कहना अनुचित नहीं होगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर समय-समय पर सेवायोजक-संगठन प्रतिनिधि एवं श्रमसंघों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श होना चाहिए।

वर्ष 1971 का आय-व्यय सर्वेक्षण एवं नयी श्रृंखला का निर्धारण:-

वर्ष 1958-59 का सर्वेक्षण जो भारत सरकार ने किया था, वह कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन से प्रभावित हुआ था। कर्मचारियों ने अपने दैनन्दिन जीवन में प्रयोग करने वाली वस्तुओं में काफी बदल कर दिया था। इसलिए उपभोक्ता के खर्च में भी काफी बदल आना स्वाभाविक था। वर्ष 1967 में जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें इस सम्बन्ध में कुछ मापदण्ड भी तय किये गए थे। वस्तुओं के भार तय करने के विषय में चर्चा भी हुई थी। जो साधन थे उसको ध्यान में रखकर आय-व्यय तैयार करने का निश्चय किया गया था। इसलिए वर्ष 1971 के सर्वेक्षण का नाम "कर्मचारी वर्ग की पारिवारिक आय-व्यय का सर्वेक्षण" रखा गया था। यह सर्वेक्षण 60 मुख्य केन्द्र जिसमें 44 फैक्ट्री एरिया, 9 प्लान्टेशन एरिया तथा 7 माइन्स एरिया के कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया। इसके पूर्व 1958-59 का जो सर्वेक्षण किया गया था उसमें 32 फैक्ट्री, 8 माइन्स एवं 10 प्लान्टेशन केन्द्र, कर्मचारियों के आय-व्यय सर्वेक्षण के लिए लिये गये थे। यद्यपि इस सर्वेक्षण का नाम "पारिवारिक बजट की जांच" दिया गया था। इस प्रकार 1971 की जांच में 10 औद्योगिक केन्द्र बढ़ाये गये। साथ ही कुछ प्रान्तों में औद्योगिक

केन्द्रों को भी बदला गया "कर्मचारी" की वही परिभाषा वर्ष 1971 में भी रखी गयी, जो परिभाषा 1958-59 के जांच के समय थी। परिभाषा के लिए फैक्ट्री एक्ट, प्लान्टेशन लेबर एक्ट एण्ड इंडियन माइन्स एक्ट में, जो कर्मचारी की परिभाषा दी हुई है, उसीको अपनाया गया।

सर्वेक्षण इन औद्योगिक केन्द्रों के समस्त कर्मचारी परिवार सदस्यों का किया गया। परिवार के खर्चों में जितनी चीजें थी-जैसे भोजन, कपड़े, ईंधन, दवा, फुटकर खर्च आदि खर्चों को जोड़ा गया। पहले तो इन वस्तुओं की विस्तृत सूची तैयार की गई, उसके अनुसार जिन केन्द्रों पर जांच की गई वे निम्नांकित हैं।

पारिवारिक जीवन सर्वेक्षण वर्ष 1971 के

औद्योगिक केन्द्र

प्रदेश	स्थान	उद्योग
आन्ध्र प्रदेश	1. गुडर	माइन्स
	2. गुन्दूर	फैक्ट्री
	3. हैदराबाद	फैक्ट्री
आसाम	4. डुमडुमा	प्लान्टेशन
	5. गुवाहटी	फैक्ट्री
	6. लैबैक	प्लान्टेशन
	7. भरियानी	प्लान्टेशन
	8. रंगापारा	प्लान्टेशन
बिहार	9. जमशेदपुर	फैक्ट्री
	10. झारिया	माइन्स
	11. कोडरमा	माइन्स
	12. मुंगेर-जमालपुर	फैक्ट्री
	13. नोवामुण्डी	माइन्स
गुजरात	14. अहमदाबाद	फैक्ट्री
	15. बड़ौदा	फैक्ट्री
	16. भावनगर	फैक्ट्री
	17. सूरत	फैक्ट्री
हरियाणा	18. यमुनानगर	फैक्ट्री
जम्मू/काश्मीर	19. श्रीनगर	फैक्ट्री
कर्नाटक	20. बंगलौर	फैक्ट्री
	21. चिकमंगलूर	प्लान्टेशन
	22. हुवली-धारवाड़	फैक्ट्री
केरल	23. अलवे	फैक्ट्री

	24.	मुन्दक्याम	प्लान्टेशन
	25.	क्विलम	फैक्ट्री
मध्यप्रदेश	26.	बालाघाट	माइन्स
	27.	भिलाई	फैक्ट्री
	28.	भोपाल	फैक्ट्री
	29.	इन्दौर	फैक्ट्री
	30.	जबलपुर	फैक्ट्री
महाराष्ट्र	31.	धाना	फैक्ट्री
	32.	बम्बई	फैक्ट्री
	33.	नागपुर	फैक्ट्री
	34.	नासिक	फैक्ट्री
	35.	पूना	फैक्ट्री
	36.	सोलापुर	फैक्ट्री
उड़ीसा	37.	बरङ्गविल	माइन्स
	38.	राउरकेला	फैक्ट्री
पंजाब	39.	अमृतसर	फैक्ट्री
राजस्थान	40.	अजमेर	फैक्ट्री
	41.	जयपुर	फैक्ट्री
तमिलनाडु	42.	कोयम्बटूर	फैक्ट्री
	43.	कोनूर	प्लान्टेशन
	44.	मद्रास	फैक्ट्री
	45.	मदुराई	फैक्ट्री
	46.	त्रिचुरापल्ली	फैक्ट्री
उत्तर प्रदेश	47.	बरेली	फैक्ट्री
	48.	गाजियाबाद	फैक्ट्री
	49.	कानपुर	फैक्ट्री
	50.	वाराणसी	फैक्ट्री
पं. बंगाल	51.	आसनसोल	फैक्ट्री
	52.	कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र तथा फैक्ट्री एरिया	फैक्ट्री
	53.	कलकत्ता	फैक्ट्री
	54.	दारजिलिंग	प्लान्टेशन
	55.	दुर्गापुर	फैक्ट्री एरिया
	56.	हाबड़ा	फैक्ट्री

	57.	जलपाई गुडी	फैक्ट्री
	58.	रानीगंज	माइन्स
दिल्ली	59.	दिल्ली	फैक्ट्री
पाण्डेचरी	60.	पाण्डेचरी	फैक्ट्री

वर्ष 1971 में उपयोग में आने वाली जिन-चीजों का सर्वेक्षण किया गया वे निम्नलिखित हैं-

आहार या भोजन

- क. अ. 1. अन्न या अन्न सम्बन्धी उत्पाद
 2. दाल या दाल सम्बन्धी उत्पाद
 3. तेल व अन्य चिकनाई
 4. गोस्त, मछली व अण्डे
 5. दूध व दूध से तैयार खाद्य पदार्थ
 6. चटनी, मसाला, व मसालेदार बनाई गई खाद्य वस्तुएं
 7. सब्जी व फल
 8. अन्य खाद्य पदार्थ
- ब. पान सुपारी एवं अन्य मादक वस्तुयें शराब आदि ।
- ख. ईंधन व रोशनी
- ग. मकान
- घ. कपड़े, विस्तरे तथा जूते-चप्पल
- च. विविध
1. स्वास्थ्य के लिए दवाएं
 2. शिक्षा, आमोद-प्रमोद एवं मनोरंजन
 3. परिवहन एवं संचार साधन
 4. व्यक्तिगत आक्रांशों की पूर्ति
 5. अन्य खर्चे

यद्यपि सर्वेक्षण के लिए एक व्यापक जांच का रूप देने का प्रयास हुआ और उससे सूचकांक निकालने का प्रयत्न भी किया गया, फिर भी अनेक त्रुटियों रह गई थीं। केन्द्र का चयन भी बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर किया गया। प्रत्येक राज्य में केन्द्र भी बनाए गये। केन्द्र बनाते समय कर्मचारियों की संख्या को भी ध्यान में रखा गया। राज्यों में जिलेवार उद्योगों में नियोजित कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखकर केन्द्र बनाए गये। केन्द्र बनाते समय राज्य सरकार से भी विचार विमर्श किया गया। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि प्रत्येक सेक्टर से एक जिले में एक ही केन्द्र हों। कर्मचारी वर्ग की आबादी के आधार पर भार को आलेख तैयार करने का प्रयास भी किया गया। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आधार वर्ष 1971 की सिरीज तैयार की गई।

1958-59 के सर्वेक्षण के समय जो औद्योगिक केन्द्र थे उनमें जो बड़े केन्द्र थे उन्हें तो रखा गया और छोटे औद्योगिक केन्द्रों को छोड़ दिया गया तथा ऐसे औद्योगिक केन्द्र, जो नये थे और बड़े औद्योगिक केन्द्र हो गये थे उन्हें जोड़ लिया गया। इस प्रकार कुछ को छोड़ा गया और नये केन्द्रों को जोड़ा गया।

मूल्य संग्रह करते समय राशन की दुकानों से भाव लिए गये जबकि मजदूर पूरा राशन, राशन की दुकान से न खरीदकर बाजार से फुटकर और मंहगा खरीदने को बाध्य इसलिए था कि राशन की दुकान का राशन घटिया था और कभी कभी समय पर उपलब्ध भी नहीं रहता था। खेद है कि सूचकांक तैयार करते समय राशन की दुकान से खरीदे गये राशन का ही भाव लिया गया, जबकि खुले बाजार में जिस भाव अनाज मिला वही मूल्य लिया जाना चाहिए था।

कर्मचारियों की दूसरी आपत्ति यह थी कि यदि निश्चित वस्तु बाजार में किसी कारण उपलब्ध नहीं थी तो उसका विकल्प लिए जाते समय यह अवश्य विचार करना चाहिए था कि क्या वह वस्तु विकल्प बनने योग्य है अथवा नहीं? कभी कभी कर्मचारी को राशन की दुकान से जितना सामान चाहिए यदि नहीं मिलता है तो वह उसे बाहर से खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए जो अंक बनाये गये वह दोषपूर्ण होते थे, आगे चलकर कर्मचारियों के असंतोष के कारण बने।

राशन खरीदते समय कर्मचारियों को बहुत सी चीजें ब्लैक मार्केट से खरीदना पड़ता है, जिसके कारण पैसा अधिक देना पड़ता है, किन्तु अंक तैयार करते समय ब्लैक मार्केट से खरीदी गई वस्तु का दाम वही लिया जाता है, जिस भाव वह चीज राशन की दुकान पर मिलती है। इस प्रकार कर्मचारियों को जो अधिक पैसा देना पड़ता है भार या अंक तय करते समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके कारण अंक सही एवं विश्वसित तैयार नहीं हुए।

मकान किराया जो सूचकांक तैयार करने के लिए निश्चित किया गया था-वह उस किराये से बहुत कम था, जो कर्मचारियों को औद्योगिककेन्द्रों पर देना पड़ता था। इस कारण मकान किराये के सम्बन्ध में जो अंक तैयार किए गये वह भी दोषपूर्ण थे।

वर्ष 1971 का सर्वेक्षण 60 औद्योगिक केन्द्रों पर किया गया। यह कार्य नेशनल सेम्पुल सर्वे आर्गनाइजेशन (एन. एस. एस. ओ.) को सौंपा गया। इसी विभाग ने वर्ष 1958-59 का भी सर्वेक्षण कार्य किया था। शेष कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी लेबर व्यूरो की थी। लेबर व्यूरो ने समय समय पर भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से भी सम्पर्क करके विचार विमर्श किया।

भारत के 25 वें श्रम सम्मेलन में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकारें, सेवायोजक संगठन और श्रमिकों के संगठन से विचार विमर्श करके ही वर्ष 1971 की श्रृंखला तैयार की जाय। वर्ष 1971 की श्रृंखला तैयार करने के पूर्व लेबर व्यूरो शिमला के अधिकारियों की देख रेख में क्षेत्रीय सम्मेलन भी किए गये। उदाहरण के लिए कानपुर, दिल्ली, श्रीनगर, बम्बई,

मद्रास और कलकत्ता में क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुए थे। इन सम्मेलनों में इस्लामाईस फ़ैडरेशन आफ इंडिया, आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन, आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ इस्लामाईस, इंडियन नेशनल युनाइटेड ट्रेड कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

सर्वेक्षण करते समय किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाय, उस निमित्त निम्नलिखित चर्चा हुई-

1. परिवार की आय और व्यय की जांच हेतु अभिकर्ता का कार्य क्या हो?
2. केन्द्रों का चयन तथा अतिरिक्त केन्द्र निर्माण की यदि आवश्यकता है, तो राज्य सरकार और लेबर व्यूरो के परामर्श द्वारा किया जाना।
3. सेवायोजक तथा कर्मचारी पक्ष द्वारा पृथक सिरीज तैयार करने के सुझाव का क्रियान्वयन।
4. औद्योगिक केन्द्रों पर बाजार का चयन श्रम संगठनों के परामर्श द्वारा किया जाना।
5. जिस वस्तु को जोड़ना या हटाना हो उस पर विधिवत विचार।
6. नामावली या अनुसूची का क्षेत्रीय भाषा में भाषान्तर।
7. मूल्य संग्रह कार्य के समय कर्मचारी और सेवायोजक संगठनों के प्रतिनिधियों को साथ साथ रखना।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने सेम्पुल डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी ली। प्रथम सर्वेक्षण वेतन भुगतान को आधार मानकर किया गया। श्रमिक आवासों के विभिन्न समूह को चयनित किया गया। तत्पश्चात् इन चयनित ब्लाक में से कुछ परिवारों को चुना और इनके आय-व्यय का सर्वेक्षण किया।

सर्वेक्षण का मानक निर्धारित करते समय इसके पूर्व 1958-59 में जो सर्वेक्षण केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पारिवारिक बजट की जांच की गई थी, उसे भी ध्यान में रखा गया।

अनेक बातों पर विचार करते हुए नई श्रृंखला के लिए आधार वर्ष 1971 निश्चित किया गया। जनवरी 1971 से सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया और ऐसी अपेक्षा की गई थी कि यह कार्य दिसम्बर 1971 तक पूरा हो जायेगा। कलकत्ता को छोड़कर सभी केन्द्रों पर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया। कलकत्ता के सर्वेक्षण में विलम्ब होने का मुख्य कारण कलकत्ता की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था थी। कलकत्ता में बहुत दिनों तक अशांति रही। सर्वेक्षण का कार्य जून 1972 तक पूरा हुआ। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत 60 केन्द्रों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ। संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विषय में पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष सभी केन्द्रों पर सेवायोजकों के संगठन, श्रमिकों के संगठन एवं वह केन्द्र जिस राज्य में था उस राज्य के अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया और 1971 की सीरीज को लागू करने का निश्चय किया गया। साथ ही यह

भी तय किया गया कि वर्ष 1960 की सिरीज और 1971 की सिरीज में संतुलन बनाए रखने के लिए परिवर्तन गुणक भी तैयार किया जाय।

शिमला लेबर व्यूरो द्वारा संकलित एवं तैयार की गई 1971 सिरीज के बारे में काफ़ी आलोचनाएं हुईं। आलोचना के मुख्य विषय निम्नलिखित थे।

- अ मजदूरों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के नमूने पुराने थे जबकि मजदूर उन चीजों का इस्तेमाल करना छोड़कर नयी-चीजों का इस्तेमाल करना प्रारम्भ कर दिया था।
- ब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए जिस मूल्य-अंक का प्रयोग किया गया था वह सब थोक विक्रय केन्द्र के मूल्य थे, जो सिरीज तैयार करने के लिए ठीक नहीं थे, कारण कि कर्मचारी को सामान खरीदने के लिए जो पैसा देना पड़ता था, वह थोक बिक्री केन्द्र के मूल्य की तुलना में अधिक था।
- स सूचकांक तैयार करने के लिए जिन वस्तुओं को चुना गया वे घटिया किस्म की थीं।
- द वे सामान, जिस पर कन्ट्रोल है, वह तो निश्चित सस्ते मूल्य की दुकान से ही मिल सकते थे और वहीं से मूल्य संकलित किया गया, किन्तु कर्मचारियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि सामान कन्ट्रोल की दुकान में नहीं मिला तो ब्लैक मार्केट से खरीदा और पैसे अधिक दिये, जो मूल्य संकलन के समय शामिल नहीं किये गये।
- य यदि किसी माह में मूल्यों में वृद्धि हुई तो सूचकांक में भी वृद्धि होनी चाहिए किन्तु ऐसा न होकर सूचकांक घटे।
- र कुछ ऐसी वस्तुएं जिसको मजदूर बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करता था उसे सूचकांक टोकरी में नहीं रखा गया। सूचकांक टोकरी में रखी गई वस्तुएं या तो सीमित थी या ऐसी वस्तुएं टोकरी में रखी गई थीं, जिसका श्रमिक इस्तेमाल ही नहीं करता था।
- ल कुछ केन्द्र मंहगे थे जो अन्य केन्द्रों की तुलना में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बराबर अनुभव भी किया जा रहा था, किन्तु जब उनके सूचकांक की तुलना की जाती थी, तो वह अन्तर दिखाई नहीं पड़ता था- करीब करीब सूचकांक समान थे, जिससे निकाले गये सूचकांक पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था।
- व थोक वस्तु मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की गति तेज थी जब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गति में स्थिरता थी-जिसके कारण सूचकांक की विश्वसनीयता संदेह

के घेरे में आ जाती थी।

स सूचकांक का आधार वर्ष असाधारण था।

द कहने को तो यह बात प्रचारित की गई कि आधार वर्ष 1971 की सीरिज तैयार करते समय कर्मचारियों के संगठन से विचार-विमर्श किया गया। सत्य तो यह है कि जो आय-व्यय का सर्वेक्षण किया गया उसमें कर्मचारी संगठनों से सम्पर्क ही नहीं किया गया। विचार विमर्श तो दूर की बात थी। इस कारण भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आलोचना की गई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एकत्रित करने वालों का इन शंकाओं एवं आलोचनाओं के बारे में इतना ही कहना था कि जिनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया गया था, उनको इसके विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं थी, साथ ही साथ उपभोक्ताओं के मन में अविश्वास भी था। इसलिए प्रयोगकर्ताओं की शंकाओं के समाधान हेतु लेबर व्यूरो शिमला ने काफी प्रयास किया। इसके लिए प्रयोगकर्ता द्वारा जो आरोप लगाये गये थे उस पर विचार विमर्श भी किया गया। मुख्य आरोप बना ही रह गया कि, जिन वस्तुओं को सूचकांक बनाने के लिए चुना गया था, वह काल बाह्य हो गई थीं। वर्ष 1958-59 का सर्वेक्षण करते समय जिन वस्तुओं को शामिल किया गया था, उनमें बहुत सी वस्तुओं को मजदूरों ने छोड़कर नई-नई वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया था। इसलिए समयानुसार इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के मूल्य के माध्यम से सूचकांक बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। यद्यपि लेबर व्यूरो शिमला ने बदल करने का प्रयास किया था, किन्तु उससे भी श्रमिकों की अपेक्षायें पूरी नहीं हुईं।

सूचकांक की टोकरी में 221 वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए था किन्तु मात्र 100 से 120 वस्तुओं को ही शामिल किया गया, जिससे भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रयोगकर्ता में असंतोष था।

मूल्य संकलन का ढंग-

लेबर व्यूरो शिमला का यह कहना कि मूल्यों का संकलन तो प्राइस कलेक्टर करता है-जो पॉर्ट टाइम काम करता है इसके कार्य का परिवीक्षण मूल्य निरीक्षक द्वारा किया जाता है तथा इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी लेबर व्यूरो उसकी विधिवत जांच करता है, तत्पश्चात् शिमला स्थित लेबर व्यूरो उसकी पुनः जांच करता है, अर्थात् जांच तीन स्तर पर होती है। लेबर व्यूरो शिमला के क्षेत्रीय कार्यालय-बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में स्थित हैं।

कन्ट्रोल पर मिलने वाले क्रय वस्तु, उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं केवल उचित मूल्य की दुकान से ही उपलब्ध होती हैं जिसे सूचकांक संकलन के लिए लिया जाता है। देश में दो प्रकार की स्थिति कन्ट्रोल वितरण की है। कलकत्ता और बम्बई में वैधानिक रूप से कन्ट्रोल पर राशन मिलता

है और राशन की दुकानों के अतिरिक्त अन्य कहीं से खुले बाजार से विपण्य वस्तु, उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के खरीदने की सख्त मनाही है। अन्य औद्योगिक केन्द्रों पर कन्ट्रोल तथा खुले बाजार से उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं।

यह बात मान्य कर ली गई है कि कर्मचारी का परिवार पूरा राशन कन्ट्रोल की दुकान से लेता है और उसकी आवश्यकता के अनुसार, जो कमी रह जाती है वह खुले बाजार से खरीदता है। जहां पर उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं वहां खुले बाजार से राशन खरीदा जाता है।

कर्मचारियों में जो सामान अधिक चर्चित रहता है उसका मूल्य लेने से पूर्व उस वस्तु की गुणात्मकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यों तो सम्पूर्ण कीमतें अपने आप किसी सूचकांक के घटने या बढ़ने का कारण नहीं बनती हैं। उदाहरण के लिए इन्दौर में आधार वर्ष में कनवेस जूते की कीमत 14.69 थी और बढ़कर जुलाई 1974 में 23.35 रुपये हो गई। और जूते का सूचकांक 227 हो गया। ग्वालियर में आधार वर्ष में कनवेस जूते की कीमत 4.54 रुपये थी और जुलाई 1974 में बढ़कर 13.95 हो गई और जुलाई का जूते का सूचकांक 307 हो गया था। यहां यह बात देखने में आई कि ग्वालियर में जूते के भाव में वृद्धि की गति तेज थी अपेक्षा इन्दौर के। इसका कारण यह था कि ग्वालियर में आधार वर्ष में धटिया किस्म का जूता उल्लिखित था। उसकी तुलना में इन्दौर के आधार वर्ष में ऊंचे दाम का जूता उल्लिखित था, जब कि जूतों की कीमत में सम्पूर्ण वृद्धि ग्वालियर की तुलना में इन्दौर में अधिक थी। इसको निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है:-

केन्द्र	आधारवर्ष मूल्य	वर्तमान मूल्य जुलाई 1974	दोनों मूल्य का अन्तर	सूचकांक
इन्दौर	14.69	33.35	18.66	227
ग्वालियर	4.54	13.95	9.41	307

इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्वालियर में जूते की कीमत इन्दौर की तुलना में कम बढ़ी फिर भी ग्वालियर के मजदूरों को सूचकांक के बढ़ने से लाभ हुआ। इन्दौर में सूचकांक के कम होने से हानि हुई। यही स्थिति अन्य वस्तुओं के मूल्य और सूचकांक की हो सकती है।

अधिकतम कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, जो इन्डेक्स की टोकरी में चित्रित ही नहीं की जाती हैं। इन्डेक्स की टोकरी में दर्शायी गयी वस्तुओं की एक सीमा है और इन्डेक्स की टोकरी में ऐसी चीजें भी चित्रित की जाती हैं, जिसका प्रयोग मजदूर करता ही नहीं है। गरम कपड़े इन्डेक्स टोकरी में नहीं दिखाये जाते हैं, जबकि मजदूर इसका इस्तेमाल करता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि जो इन्डेक्स तैयार किए जाते हैं, वह न तो व्यावहारिक हैं और न ही सही हैं। उपभोक्ता टोकरी में जिस कपड़े को शामिल किया जाता है, गरम कपड़े को उसी के स्थान पर मान लिया जाता है, और उसी के अंक दिये जाते हैं। इसलिए अंक भी सही नहीं

होते। यदि अंको पर दोष लगाया जाता है तो वह अनुचित नहीं है, किन्तु यह कहना कि इन्डेक्स की टोकरी में जो सामान की संख्या है वह 100-120 तक है और बहुत अधिक है। इस संख्या को पर्याप्त कहना भी ठीक नहीं है। यह संख्या तो 200 से भी अधिक होनी चाहिए।

बढ़ती मंहगाई घटता सूचकांक:-

अनेक ट्रेड यूनियनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब मंहगाई बढ़ती है तो सूचकांक गिरता है। सूचकांक गिरने के कारण मजदूरों को मंहगाई भत्ते का भुगतान कम होता है। कभी कभी तो सूचकांक इतना कम हो जाता है कि मजदूरों को जो मंहगाई भत्ता मिलता था, उसमें भी कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में मजदूर एवं ट्रेड यूनियनों को आश्चर्य होता है कि मंहगाई भत्ता कम क्यों मिला? विशेषकर कलकत्ता के जूट मिल कर्मचारी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं।

शिमला व्यूरो ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के सूचकांक निकालने में अत्यन्त सतर्कता बरती जाती है। इसलिए यह आरोप लगाया जाना कि सूचकांक बढ़ती हुई मंहगाई के अनुसार नहीं निकाले जाते हैं-आधारहीन है। कर्मचारी तो सूचकांक की गतिविधियां अपने मिलने वाले मंहगाई भत्ते से आंकता है। जहां कहीं तिमाही मंहगाई भत्ते का भुगतान औसत अंकों के आधार पर होता है, वहां तो तीन माह के पूर्व के त्रैमासिक औसत अंकों पर मंहगाई भत्ता मिलता है, जो वर्तमान अंकों की तुलना में अन्तर का प्रमुख कारण बनता है। उदाहरण के लिए जूट मिल कर्मचारी का फरवरी से अप्रैल तीन माह के औसत अंक पर मंहगाई भत्ते का भुगतान होता है, किन्तु अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर के औसत अंकों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान मई में होता है न कि फरवरी मार्च व अप्रैल के औसत सूचकांक पर इसलिए पिछले त्रैमासिक और वर्तमान त्रैमासिक फरवरी, मार्च तथा अप्रैल के औसत अंक में फर्क आना स्वाभाविक है और मंहगाई भत्ते पर उसका असर भी स्पष्ट दिखाई देगा। विगत 25 वर्षों के अध्ययन से पता चला है कि कलकत्ता में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ने के स्थान पर घटते हैं और अक्टूबर नवम्बर तथा दिसम्बर के सूचकांक जनवरी से मार्च तक के सूचकांक से अधिक होते हैं, जिसका मुख्य कारण फल और सब्जियों का कलकत्ता की बाजार में अधिक आना है। यह बात केवल कलकत्ता केन्द्र के लिए ही नहीं अपितु हावड़ा, आसनसोल, कानपुर, अमृतसर, आदि केन्द्रों पर भी अप्रैल से आगे के माह में कीमतेँ और सूचकांक बढ़ते हैं। कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का भुगतान जनवरी से मार्च सूचकांक पर होते हैं। निःसन्देह मंहगाई भत्ता अक्टूबर से दिसम्बर में जितना मिलता है उसकी तुलना में जनवरी, फरवरी मार्च में कम मिलता है। इसलिए मंहगाई भत्ते में कटौती उस समय होना जब मंहगाई के अंक बढ़ रहे हों कोई स्वाभाविक दोष के कारण नहीं है।

यह भी अनुभव किया जाता है कि कुछ केन्द्रों पर अन्य केन्द्रों की तुलना में मंहगाई अधिक रहती है, किन्तु जब उन दोनों केन्द्रों के सूचकांक की एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो सूचकांक में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। शिमला व्यूरो का यह कहना कि दो

केंद्रों के सूचकांक की तुलना करना उचित नहीं है—यह तो उन केंद्रों की विशेष स्थिति के कारण है। यह भी कहा जाता है कि जब दिल्ली का जुलाई 1974 का सूचकांक 335 था तो उसी समय कानपुर का सूचकांक 312 था यह आधार वर्ष 1960=100 के अनुसार था। इसका साफ अर्थ है कि दिल्ली में वर्ष 1960 के दौरान वास्केट में जो चीजें निश्चित थीं उसकी औसत कीमतें 235% बढ़ गईं जबकि कानपुर की टोकरी में निश्चित वस्तुओं की औसत कीमतें 212 प्रतिशत ही बढ़ी। इसका यह अर्थ नहीं है कि दिल्ली कानपुर की तुलना में अधिक महंगा है। दो स्थानों के महंगेपन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक विशेष प्रकार की सूचकांक की आवश्यकता होती है। जिसका नाम है 'इन्डाइसेज आफ कम्परेटिव कास्टलीनेस-महंगेपन का तुलनात्मक सूचकांक'।

थोक मूल्य सूचकांक की दौड़ में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की स्थिरता पर भी कर्मचारी और ट्रेड यूनियनों बराबर शंका प्रकट करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके भार आरेख (Weighting Diagram) और वस्तुएं जो शामिल की जाती हैं, वह अलग अलग हैं अर्थात् उनमें अन्तर है। उदाहरण के लिए थोक बिक्री की कीमतें जिसमें खाद्यान्न, तरल पदार्थ—मदिरा, तम्बाकू, ईंधन ऊर्जा, प्रकाश यंत्र के पुर्जों में प्रयोग की जाने वाली चिकनाई, औद्योगिक कच्चा माल, कैमिकल्स, मशीनें, परिवहन सम्बन्धी साज सामान, कारखानों में बड़े पैमाने पर बने सामान आदि का प्रचलित मूल्य लिया जाता है। घरेलू उत्पादन की, जो बाजार कीमत होती है, उससे अनुमान लगाकर विभिन्न सामान के भार का उल्लेख किया जाता है। साथ ही उसमें आयात खर्च व चुंगी भी जोड़ ली जाती है। इसका आधार वर्ष 1961-62 होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो एक टोकरी में निश्चित सामान की कीमतों में बदल की जानकारी देते हैं। खाद्य पदार्थ, ईंधन, व उत्पादित सामान जिनका उल्लेख थोक मूल्य सूचकांक में किया गया है को भी जोड़कर अलग-अलग परिवारों के पारिवारिक बजट की जांच 1958-59 के आधार पर की गई। बहुत सी चीजें जो थोक मूल्य सूचकांक में शामिल रहती थीं वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करते समय शामिल नहीं गईं। ठीक उसी प्रकार ऐसी कुछ चीजें उदाहरण के लिए मकान किराया, थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया गया। इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक की प्रतिमाह तुलना करने का काम एक प्रकार से व्यर्थ की कसरत साबित हुई। इससे कोई लाभ नहीं हुआ।

वर्ष 1971 की श्रृंखला की असामान्यता:-

वर्ष 1971 की श्रृंखला को श्रमिक जगत में आसानय कहा गया। इस पर यह भी आरोप लगाया गया कि यह श्रृंखला समायानुकूल नहीं थी जबकि 1971 की श्रृंखला तैयार करने का काम वर्ष 1969 में टेकनिकल एडवाइजरी कमेटी द्वारा किया गया था। उस निर्णय में कर्मचारियों के पारिवारिक खर्च की जांच विस्तार पूर्वक करने पर जोर दिया गया था। हां यह बात जरूर थी कि

यह बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती थी कि जो आधार वर्ष 1971 चुना गया था वह पूर्ण रूपेण एक सामान्य वर्ष था। इसलिए वर्ष 1971 की श्रृंखला में कुछ न कुछ असंतुलन अवश्य था।

1971 के सर्वेक्षण में कर्मचारी संगठनों की उपेक्षा:-

वर्ष 1971 में जो सर्वेक्षण किया गया था और उस सर्वेक्षण के समय जो चीजें शामिल की गई थीं, उसका विस्तृत विवरण इसके पहले दिया जा चुका है। और उसमें यह भी कहा गया था कि वर्ष 1971 की श्रृंखला तैयार करते समय श्रमिक संगठन और सेवायोजक संगठनों से विचार विमर्श किया गया था। क्षेत्रीय सम्मेलन करके विचार विमर्श अवश्य किया गया था, किन्तु कर्मचारी और सेवायोजकों की पारिवारिक बजट की जांच के समय सक्रिय सहभागिता नहीं थी। जो क्षेत्रीय सम्मेलन किए गये थे वे क्रमशः निम्नांकित स्थान व तिथियों में सम्पन्न हुए थे-

स्वान	तिथि
दिल्ली	17.2.69
कानपुर	19.2.69
श्रीनगर	12.6.69
बम्बई	2.8.69
मद्रास	4.8.69
कलकत्ता	8.8.69

उपरोक्त क्षेत्रीय सम्मेलनों में इंटक, एटक, एच.एम. एस., भा. म. सं., सूती मिल मजदूर संघ, कानपुर, यू.पी. ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर पंचायत जनरल वर्क्स प्रोग्रेसिव यूनियन, कोयम्बटूर आदि श्रम संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्रमिक संगठनों के अतिरिक्त सेवायोजक पक्ष से इम्प्लॉयर्स फ़ेडरेशन आफ इंडिया, ए आई. एम. ओ., आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ इनडस्ट्रियल इम्प्लायर्स, पंजाब-हरियाणा व दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स, इम्प्लायर्स फ़ेडरेशन आफ सदरन इंडिया, साउथ इंडिया चेम्बर आफ कामर्स, प्लानर्स एसोसिएशन आफ तमिलनाडू प्लानर्स एसोसिएन आफ सदरन इंडिया, भारत चेम्बर आफ कामर्स, बंगाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स और इन्डस्ट्री एण्ड इंडियन चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर अपने विचार प्रकट किये। इस सहभागिता से तो यह कहा जा सकता था कि कर्मचारी और सेवायोजकों के प्रतिनिधियों ने वर्ष 1971 की श्रृंखला को तैयार करने में सहयोग किया किन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या एक दिन के कुछ घंटे के क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हो जाने से कर्मचारी और सेवायोजकों की सक्रिय भागीदारी हो गई? जबकि कर्मचारी व सेवायोजक संगठनों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उनसे बराबर सम्पर्क बनाए रहने की आवश्यकता थी। अतः सूचकांक तैयार करने के लिए जो पारिवारिक बजट की जांच की गई उसमें संदेह पैदा होने

की गुजाइश न रहे इसलिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को जांच के समय रखना आवश्यक था। साथ ही किस बाजार से और किस दुकान से टोकरी की वस्तुओं की कीमत एकत्रित की जाती थी उस बाजार और दुकानदार की जानकारी भी कर्मचारी और सेवायोजक प्रतिनिधि को रहनी चाहिए थी किन्तु ऐसा नहीं हुआ। कब और कहां से तथा कौन कीमतों का संकलन करता था कर्मचारी यूनियनों और सेवायोजकों की जानकारी में नहीं था।

सूचकांक संकलन का कार्य स्थाई है। प्रत्येक सप्ताह सूचकांक एकत्र करने का काम करना पड़ता है। कीमतें इकट्ठा करने वालों की अपनी कुछ कठिनाइयाँ हैं। उन्हें अपना काम दुकानदारों को नाराज किए बिना ही करना पड़ता है। वे इस बात से बराबर डरते हैं कि कहीं दुकानदार सहयोग करना बन्द न कर दें। उसका लगातार सहयोग प्राप्त करने के लिए उस द्वारा बताई गई कीमतों को उसे नोट ही करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वे कीमतें वे ही हों जिन पर उपभोक्ता चीजें खरीदते हैं। समय की कमी के कारण कीमतें इकट्ठा करने वाले अपना काम लापरवाही के साथ करते हैं। सूचना एकत्रित करने वालों को यात्रा भत्ते व पारिश्रमिक की मामूली अदायगी उन्हें इस काम के लिए प्रोत्साहन नहीं दे पाती है।

लेबर व्यूरो ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से बिना बातचीत किए विभिन्न केन्द्रों पर श्रमिक यूनियनों को यह समझाना प्रारम्भ कर दिया कि पारिवारिक बजट का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया जा रहा है। श्रमिक यूनियनों द्वारा यह मांग किए जाने पर कि केन्द्रीय श्रम संगठनों से बातचीत की जाय। भारत सरकार ने ट्रेड यूनियनों की इस मांग को भी ठुकरा दिया। इस प्रकार पारिवारिक बजट के अध्ययन में योजनाबद्ध तरीके से केन्द्रीय श्रमसंगठनों को नजरअंदाज कर दिया गया। वर्ष 1971 की सीरीज तो लागू नहीं हो सकी किन्तु पारिवारिक बजट की जांच करने के बाद सरकार ने वर्ष 1982 के आधार पर सूचकांक तैयार करने की जोरदार तैयारी कर ली। राष्ट्रीय अभियान समिति ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया जिसे भारत सरकार ने बड़ी आसानी से टाल दिया।

रथ कमेटी का गठन व उसकी अनुशंसायें-

रथ कमेटी जो 1977 में बनी थी उसके चेयरमैन डा. नीलकण्ठ रथ थे - उनके साथ श्रीमती मेनीबेन कारा (एच. एम. एस.), श्रीमती पार्वती कृष्णन एम. पी. (एटक), श्री बी. एन. साठे (बी. एम. एस.) श्री एम. के पांधे (सीटू) श्री कान्ती मेहता (इन्टर) श्री एम. टी. शुक्ल (एन. एल. ओ) सदस्य के नाते थे। (एच. एम. एस.) श्रीमती पार्वती कृष्णन एम. पी. (एटक) श्री बी. एन. साठे (बी. एम. एस.) श्री एम. के. पांधे (सीटू) श्रीकान्ती मेहता (इन्टर) श्री एम. टी. शुक्ल (एनएलओ) सदस्य के नाते थे।

रथ समिति ने भी कहा कि लेबर व्यूरो के अधिकारी व्यूरो के दिशा निर्देशों के अनुसार कीमतें इकट्ठा करने का काम नहीं करते हैं। वर्षाकाल में तो इस काम की और भी खराब हालत

होती है। यदि कीमतें इकट्ठा करने के दिन सरकारी छुट्टी हो तो वे अधिकारी अगले दिन की कीमतें इकट्ठा करते हैं। खराब होने वाली चीजों के दाम निर्धारित समय पर संकलित नहीं किए जाते हैं। कुछ राज्यों में निरीक्षण ठीक से होता है, किन्तु कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां सर्वेक्षण नाम की चीज ही नहीं है। इन हालात में होता है दाम इकट्ठा करने का सर्वेक्षण। क्या इससे मजदूरों की समस्या का समाधान हो सकता है? कदापि नहीं।

वर्ष 1980 में केन्द्रीय सरकार में एक परिवर्तन आया कारण कि रथ कमेटी की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार पर 3.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आता। यदि वह उसे लागू करती। इस प्रकार रथ कमेटी रिपोर्ट को सरकार ने ठण्डे बस्ते में रख दिया। ट्रेड यूनियनों के निरन्तर दबाव के कारण 1971 की श्रृंखला को लागू करने के इरादे को उसने छोड़ दिया। रथ समिति के समक्ष विचारार्थ रखे गये मुद्दे निम्नांकित थे:-

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो औद्योगिक मजदूरों के लिए संकलित किया जाता है उसके विभिन्न पहलुओं की विधिवत जांच करना। जांच करने में "भार आरेख" के निर्धारण के लिए अपनाए गये तरीके, योजक गुणक, सूचकांक संकलन का तरीका आदि।
2. मौजूदा समय कीमतें इकट्ठा करने के तरीके व मशीनरी पर विचार, कीमतें इकट्ठा करने के काम में ट्रेड यूनियनों की सहभागिता व मालिकों की सहभागिता की वांछनीयता पर विचार के साथ ही उसके तरीके का अध्ययन करना व उस पर रिपोर्ट देना।
3. उपरोक्त विषयों पर जांच के बाद अनुशंसा देना।
 - अ सूचकांक के संकलनकार्य तथा सूचकांक तय करते समय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का शामिल किया जाना।
 - ब अखिल भारतीय स्तर पर एक स्थाई स्टैण्डिंग एडवाइजरी समिति का गठन किया जाय जिसमें, मालिकान और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि हों तकनीकी समिति के अध्यक्ष तथा लेबर व्यूरो के निदेशक शामिल हों।
 - स समिति व्यापक मुद्दों पर परामर्श वाली मंच होगी।
 - द ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर भी एक स्टैण्डिंग कमेटी बनाई जाय। आंकड़ों आदि की जांच करने हेतु माह में एक बार बैठक बुलाई जाय।

जहां तीन से अधिक बाजारों से कीमतें इकट्ठी की जाती हैं, उसके लिए समिति ने कहा कि सुधार के लिए कदम उठाये जायं ताकि सूचकांक विश्वसनीय हो सकें। समिति ने अपनी अनुशंसायें 4 मई 1978 को दीं। श्रमिक प्रतिनिधियों ने समिति की रिपोर्ट पर अपना विरोध जताया। श्री वी. एन. साठे (भा. म. सं.) ने समिति को लिखित रूप में दिया कि सूचकांक संकलन

जताया। श्री वी. एन. साठे (भा. म. सं.) ने समिति को लिखित रूप में दिया कि सूचकांक संकलन में धोखाधड़ी होती है। सभी पहलुओं पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया गया है।

नयी श्रृंखला लागू करने से पूर्व पहले की श्रृंखला में सुधार

1. पुरानी श्रृंखला की त्रुटियों को सुधारा जाय।
2. नयी श्रृंखला लागू करने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किसी मशीनरी से इसकी विस्तृत जांच कराई जाय।
3. बगैर मार्केट की कीमतों में सुधारवादी नीति अपनाई जाए।
कारण कि काला बाजारी कीमतों के बारे में लेबर ब्यूरो द्वारा अपनाई गई उस सुधारक कार्यवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस चीज के भार को, जिसकी सप्लाय कम है समूचे खाद्य ग्रुप में वितरित करने का, जो प्रावधान है, ठीक नहीं है। काला बाजारी कीमतों को इकट्ठा करने का यह उचित विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार में मुक्त रूप से बिकने वाली चीजों की तुलना में ये कीमतें ज्यादा मंहगी होंगी।
4. हाल ही में वस्तुओं की क्वालिटी आरम्भिक विशिष्टता की तुलना में काफी खराब हुई है। समिति के इस विचार से ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी असहमति जताई कि राशन की दुकानों से सप्लाय की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी में गिरावट के बावजूद अतीत में उचित संयोजन न किए जाने के कारण मौजूदा सूचकांक को ठीक नहीं किया जा सकता। इस काम के लिए आधार वर्ष में तय की गई विशिष्टताओं में सीधी तुलना की जा सकती है। उचित सुधार करने के लिए आधार वर्ष में तय की गई विशिष्टताओं वाली चीजों की कीमतों या उसके तुल्य वस्तुओं की कीमतें ली जा सकती हैं।

कपड़े:

यद्यपि कपड़े की कीमत इकट्ठा करना एक कठिन काम है। आज की तुलना में पहले अति साधारण क्वालिटी के कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे। इसलिए वर्तमान इस्तेमाल का स्वभाव देखते हुए कपड़े के "भार आरेख" में संशोधन किये जायें।

जूते:

पहले बाटा कंपनी चमड़े का जूता तैयार करती थी। अब तो, जो जूते तैयार होते हैं, उसका अन्दरूनी हिस्सा सेन्थेटिक या कनवेस का होता है। इससे सही बढी कीमत छिप गई है। नमूना, जो तय था, उसमें अन्तर आ गया है। इसलिए सुधार की आवश्यकता है।

मात्रा व गुणात्मक परिवर्तन:-

थाली, तैयार चाय, नमकीन, पेय पदार्थ, मिठाई, दूध व घी, की गुणात्मकता में काफी परिवर्तन हुआ है। क्वालिटी के साथ-साथ कीमतों में भी काफी बदलाव आया है। अतः बढ़ी हुई कीमतों के छिपाने का काम हो रहा है। यदि ऐसा किया गया तो मजदूरों के मंहगाई भत्ते में कमी हो जायेगी। अतः आधार वर्ष के नमूने को सुरक्षित रखते हुए टोकरी में शामिल वस्तुओं की गुणवत्ता को बरकरार रखना होगा।

लेबर ब्यूरो शिमला की यह सोच कि देश को 73 क्षेत्र में बांटकर यदि उपभोक्ता सूचकांक क्षेत्रवार तैयार किया जाय तो ठीक रहेगा। रथ समिति के श्रमिक प्रतिनिधि सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे। सदस्यों का स्पष्ट मत था कि इससे समस्या का समाधान होने के स्थान पर और अधिक जटिलता आ जायेगी।

सूचकांक संकलन:-

यद्यपि केन्द्र चुने जाने के बाद उस केन्द्र के सभी मजदूर वर्ग के परिवार के पारिवारिक बजट की जांच करना सम्भव नहीं है। सर्वेक्षण सम्भव नहीं है। सर्वेक्षण के लिए केवल नमूने के तौर पर परिवारों का अध्ययन किया जाता है। सर्वेक्षण का काम करीब एक वर्ष करना पड़ता है। साल भर सर्वेक्षण करने का कारण, किसी विशेष क्षेत्र में मौसम के अनुसार सभी चीजों का पता लगाना जरूरी है। उदाहरण के लिए ऊनी कपड़ा शीतकाल में और वर्षा काल के अतिरिक्त छाता किसी भी मौसम में गिना नहीं जाता है।

इसी प्रकार भिन्न भिन्न मौसम के फल और सब्जियों को भी पूरे मौसम में शामिल नहीं किया जाता है। आमतौर से वर्ष में चार बार आकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, किन्तु कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की राय है कि आंकड़े संकलन का कार्य प्रत्येक माह किया जाय। पारिवारिक बजट की जांच करने वाले किसी परिवार में कितने लोग हैं और उन लोगों में कमाने वाले कितने हैं, वे अपना गुजारा किस प्रकार से करते हैं। पारिवारिक बजट के समय किसी परिवार में पूरे वर्ष भर कौन कौन सी चीजों का वे इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है। व्यापकतौर से वे निम्नलिखित चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं:-

1. खाद्य पदार्थ मे-चावल, आटा, गेहूं, चना, दालें, चीनी, गुड़, दूध, मांस मछली, मसाले।
2. ईंधन व प्रकाश:- कोयला, जलाने की लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस, बिजली, माचिस, उपले आदि।
3. कपड़ा व जूते:- धोती, साड़ी, कमीज, ब्लाउज, पेटिकोट, गमछा, तौलिया, व कच्चे, बनियान, चादर, बिस्तर, ऊनी कपड़े, चप्पल, जूते आदि।

4. **आवास:-** समय समय पर अदा किया गया मकान किराया ।
5. **फुटकर:-** पान, सुपारी, कपड़े धोने का साबुन, सरका तेल, नाई की दरें, बस व रेल किराया, डाक्टर की फीस, शिक्षा, समाचार पत्र, सिनेमा उपयोगी सभी वस्तुओं का व्यौरा इकट्ठा करना आवश्यक है । ताकि आगे चलकर उन्हीं विशिष्टताओं को, उसी प्रकार की चीजों के दाम इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया जा सके ।

वर्ष में 4 बार सर्वेक्षण के बाद औसत बजट बनाया जाता है, जो आम तौर पर मजदूर वर्ग के परिवारों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं पर खर्च का नमूना पेश करता है ।

भारत में कितनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, यह पता लगाना कठिन है । यह संख्या 200 से भी अधिक हो सकती है । इसलिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी निर्धारित करते समय स्मरण रखना सम्भव नहीं है । इसलिए छोटी वस्तु का भार किसी बड़ी वस्तु में जोड़ दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु के भार समान रूप से बढ़ रहे हैं । इस तरीके का नाम है "अभ्यारोहण "imputation" जिसका अर्थ है कि छोटी छोटी वस्तुओं के दामों को बड़ी वस्तुओं के दामों में मढ़ देना । उदाहरण के लिए किसी स्थान पर शकर बूरा और गुड़ का उपयोग अधिक होता है, तो गुड़ और बूरे को चीनी के ऊपर मढ़ (जोड़) दिया जाता है ।

टोकरी में कितनी चीजें रखनी हैं, उसका चयन करने के बाद इन सबके कुल "भार" को 100 के बराबर मान लिया जाता है । तब प्रत्येक वस्तु पर जितना खर्च होता है, उस टोकरी में रखी वस्तुओं की कीमत का वह कितने प्रतिशत है के द्वारा भार जाना जा सकता है । उदाहरण के लिए किसी टोकरी में जितनी चीजें हैं उसका कुल भार (मूल्य 1500 रु) है और अगर 1500 रूपये भार में, खाद्य पदार्थ का भार (खर्चा) 900 रु.० है तो खाद्य पदार्थ के भार का प्रतिशत 60 होगा । यह भार किसी विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त बदला नहीं जाता है ।

मजदूर किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है उसकी सूची बनाई जाती है सूची बनाते समय यह भी ध्यान दिया जाता है कि कौन सी वस्तु किस श्रेणी की है । इसके बाद बाजारों को चुना जाता है । जहां से मजदूर अक्सर चीजें खरीदता है । बाजार में दो चार दुकानों का चयन किया जाता है । सब्जी खरीदने की मण्डी भी चुनी जाती है । साथ ही हरी सब्जियों के दाम लेने के लिए समय भी निश्चित किया जाता है । हरी सब्जी के दाम सुबह अधिक और सांय काल कम हो जाते हैं । इसी लिए इसके दाम के संकलन का समय दोपहर 12 बजे निश्चित रहता है ।

मजदूर प्रायः फुटकर सामान खरीदता है । उदाहरण के लिए जीरा, काली मिर्च, धनियां, हल्दी, मिर्चा, आदि का दाम यदि किलो के भाव संकलित किया जायेगा तो गलत होगा, क्योंकि मजदूर इन्हें फुटकर खरीदता है न कि किलो के हिसाब । कीमतों की अनुसूची में यदि इस तरह किलो के भाव शामिल किए जायेंगे तो कीमतों की वास्तविक वृद्धि की तस्वीर पेश नहीं हो सकेगी ।

कीमतेँ इकट्ठी करते समय माना कि प्रारम्भ में अच्छी क्वालिटी की धोती के दाम इकट्ठा किया गया और किसी महीने में सस्ते क्वालिटी की धोती के दाम इकट्ठा किए गये तो इससे एक ही क्वालिटी की चीजों के दाम में तुलना नहीं हो सकती है। किसी क्वालिटी के दाम किस समय लिए गये थे यदि उसके नमूने नहीं हैं तो यह कहना कठिन है कि कौन नमूना कैसा है?

यदि बाजार में आरंभिक विशिष्टता वाली वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो दूसरी किस्म के दाम उसी क्वालिटी के दायरे में चुन लिए जाते हैं। इस प्रकार के कार्य को “प्रतिस्थापन” कहते हैं। प्रतिस्थापन कपड़े के बारे में अधिकांश किया जाता है। “प्रतिस्थापन” में क्वालिटी समान होना आवश्यक है। और अभ्यारोहरण में “भार” की समानता मान ली जाती है। कीमत के साथ साथ प्रतिस्थापन करते समय कीमतों के साथ वस्तु के रंग बनावट स्वाद, टिकाऊपन आदि गुणों को भी ध्यान में रखा जाता है।

कभी कभी आरंभिक विशिष्टता की चीजें बाजार में आना ही बन्द हो जाती हैं। उस विशिष्टता वाली कौन सी चीज हो सकती है। ऐसी चीजों का ब्यौरा इकट्ठा करने में महीनों समय लगाना पड़ता है। यदि कोई चीज दिखाई पड़ी तो उसके गुणवत्ता की भी परख की जाती है। आरंभिक चीज और नई चीज की गुणवत्ता में क्या फर्क है इसका भी अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के बाद “संयोजन” नाम के तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नयी चीज लागू कर दी जाती है, किन्तु इस तरीके के अपनाने में अत्यन्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जो मूल्य सूचकांक निकालने की प्रणाली हैं उसमें अनेक प्रकार की कमी रह जाती है।

कीमतेँ इकट्ठा करने का काम बहुत बड़ा है। साथ ही इस काम में अत्यन्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। काम बड़ा है, इसलिए इस काम में गलतियाँ भी अधिक होती हैं। अनेक मामलों में संयोजन का काम ठीक नहीं किया जाता है। कभी कभी घटिया चीजों के दाम इकट्ठा कर लिए जाते हैं।

कीमतेँ इकट्ठा करने वालों का उचित प्रशिक्षण एवं सत्य होना आवश्यक है किन्तु प्रशिक्षण पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है। कीमतेँ इकट्ठा करने में जानबूझकर गैर वैज्ञानिक तरीके डाल दिये गए हैं। इसलिए सूचकांक भी असलियत से नीचे आ रहा है। परिणामस्वरूप काफी शोरगुल होता है और कर्मचारियों में सूचकांक के बारे में अविश्वास का भाव भी जागरित होता है। इस प्रकार के अविश्वास का वातावरण बना रहना ठीक नहीं है। इस बात पर ध्यान दिया जाए तथा भार इकट्ठा करने के काम में वैज्ञानिकता अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

महीने के दौरान दुकानों से कीमतेँ संकलित की जाती हैं। संकलन के लिए किसी केन्द्र में कम से कम दो दुकान और दो बाजार से वस्तुओं की कीमतों का संकलन किया जाता है। संकलन

करते समय यह भी पता लगाया जाता है कि किस क्वालिटी के सामान को अधिक तथा अधिकतम मजदूर खरीदते हैं। टोकरी में जितनी वस्तुएं होती हैं, उनमें प्रत्येक वस्तु का बाजार या सब्जी मण्डी से भाव लेने का प्रयास कीमत संग्रहकर्ता करता है। उदाहरण के लिए चावल को ही लें तो चावल की अनेक किस्में व क्वालिटी होती हैं। उसी प्रकार अन्य खाद्यान्न की क्वालिटी होती हैं, जिसे अधिकांश मजदूर खरीदता है। मजदूर कौन सी चीज अधिक खरीदता है उसका पता दुकानदार से भी लगाया जाता है। प्रतिमास इकट्ठी की गई साप्ताहिक कीमतों के माध्यम से मासिक औसत निकाला जाता है इससे यह पता चल जाता है कि आधार वर्ष की कीमतों की तुलना में चालू मास की कीमतों में कितने प्रतिशत का अनुपातिक अन्तर आया है। साथ ही मजदूर भी अपनी आय का कितने प्रतिशत उस वस्तु पर खर्च कर रहा है। यह भी पता चलता है कि आय का कितने प्रतिशत वह खाद्यान्न पर खर्च रहा है। वही प्रतिशत चालू वर्ष का खाद्यान्न भार कहलाता है। यदि चावल का प्रतिशत होगा तो उसे चावल का भार कहेंगे। गेहूँ का प्रतिशत होगा तो गेहूँ का भार कहेंगे। सम्पूर्ण खाद्यान्न का प्रतिशत होगा तो उसे खाद्यान्न प्रतिशत कहा जायेगा। उदाहरण के लिए चावल का माह का औसत मूल्य निम्नांकित है:-

माना कि चालू माह में चावल की औसत कीमत किलो में निम्नांकित थी।

सप्ताह	बाजार-1			बाजार-2	
	प्रथम दुकान	द्वितीय दुकान	तृतीय दुकान	चतुर्थ दुकान	चारों दुकानों का औसत मूल्य
प्रथम	4.00	4.33	4.25	4.40	4.25
द्वितीय	4.25	4.40	4.20	4.35	4.30
तृतीय	4.10	4.25	4.30	4.35	4.25
चतुर्थ	4.35	4.15	4.20	4.30	4.25
चारों सप्ताह की औसत कीमतों का जोड़					17.05
औसत कीमत					4.26

इसी प्रकार सभी खाद्य पदार्थों का मासिक औसत मूल्य निकाला जाता है खाद्यान्न पदार्थों का सूचकांक निम्नांकित प्रकार से निकाला जा सकता है:-

वस्तु	वस्तु की क्वालिटी	वस्तु का भार मजदूर द्वारा इस्तेमाल किये वस्तुओं का प्रतिशत	औसत कीमत प्रति किलो आधार-चालू जनवरी अवधि-मास औसत की कीमत 1960	आधार अवधि और चालू माह की कीमत का आनुपातिक प्रतिशत	कीमत अवधि और भार का गुणनफल कालम 3x6	
1	2	3	4	5	6	7
चावल	साधारण	60	0.50	0.52	104.0	6240
दूध	मध्यम किस्म का	25	0.36	0.40	111.1	2778
बकरी का मांस	मध्यम	15	1.50	1.75	116.7	1750
					100	10768

कालम (7) में दिये गए गुणनफलों का जोड़ 10768

खाद्य पदार्थ सूचकांक कालम (3) में दिये गये वस्तुओं के भार का जोड़ (100)

$$10768 \div 100 = 107.7$$

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने वेतन का मजदूर चावल पर खर्चा 60%, दूध पर 25%, मांस पर 15%, पूरे वेतन का करता है।

चावल का स्थिर भार कीमत 0.50, चालू भार कीमत 0.52 का कीमत अनुपात 104.4 दर्शाता है।

इसी प्रकार दूध का स्थिर भार कीमत .36 और चालू भार कीमत .40 का कीमत अनुपात 111.1 तथा मांस का स्थिर भार कीमत 1.50 और चालू भार कीमत 1.75 का कीमत अनुपात 116.7 दर्शाता है। मजदूर वस्तु पर जितना प्रतिशत खर्च करता है वही प्रतिशत उसका भार कहलाता है। सब वर्गों में अलग-अलग सूचकांक निकालने के लिए यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में किन्हीं केन्द्र के वर्ग सूचकांकों को संबंधित वर्ग के भार से गुणा किया जाता है और उसके गुणनफल के जोड़ को वर्ग के भार से गुणा किया जाता है इससे एक ऐसा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राप्त होता है जिसे उस महीने के लिए उस केन्द्र का सामान्य सूचकांक कहा जाता है। प्रत्येक मास के लिए गणना करते समय भार कीमत और आधार कीमत को स्थिर रखा जाता है।

चालू कीमत और कीमत अनुपातों को प्रतिमाह इकट्ठा किया जाता है और इन्हीं के आधार पर मासिक सूचकांक निकाला जाता है। उदाहरण के लिए

ग्रुप(वर्ग)	ग्रुपभारसूचकांक	ग्रुप सूचकांक	गुणनफल
खाद्य पदार्थ	61.00	621.6	37918
ईंधन व प्रकाश	2.8	584.4	1636
मकान किराया	6.4	400.0	2560
कपड़े आदि	16.2	812.0	13154
फुटकर	13.6	671.2	9128
जोड़		100.00	64396
सामान्य सूचकांक		=	64396 ÷ 100 (ग्रुपों के भार को जोड़)
		=	643.96
		=	644

किसी केन्द्र का साल के दौरान सभी 12 माह का सूचकांक औसत निकाला जा सकता है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी इसी प्रकार से निकाला जा सकता है।

प्रत्येक केन्द्र को एक भार दिया जाता है। यह भार समूचे देश के कुल कर्मचारियों की तुलना में उस केन्द्र पर कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत है के बराबर होता है। किसी केन्द्र के सामान्य सूचकांक को उसके भार से गुणा किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग केन्द्रों के सूचकांक को अलग अलग भार से गुणा करने पर अलग अलग गुणनफल आयेगे। इन सभी गुणनफलों को जोड़ा जाता है और फिर 100 से भाग दिया जाता है। यह संख्या उस महीने का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होती है। किसी वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत सूचकांक ज्ञात करने के लिए उस वर्ष के दौरान के 12 मासिक सूचकांकों का साधारण औसत निकाला जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने का यह तरीका कठिन नहीं है। प्रयत्न पूर्वक यदि मजदूरों को समझाया जाय तो उनकी समझ में आ सकता है। खेद है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कीमतों के परिवर्तन के अलावा और किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसे जीवन यापन के खर्च का सूचकांक कहना ठीक नहीं है। सूचकांक में कीमतों का परिवर्तन एक पहलू है। इसके अलावा आमदनी, स्वाद, चीजों की मात्रा व क्वालिटी और उपयोग की गई सेवाएं आदि जैसे पहलुओं को भी बहुत अधिक महत्व है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन के लिए इस्तेमाल किया गया
केन्द्रानुसार भार

राज्य	केन्द्र	भार	
		1960 श्रृंखला	1982 श्रृंखला
आन्ध्र प्रदेश	1. गुड्डर	0.34	0.75
	2. गुंटूर	1.48	1.11
	3. हैदराबाद	2.17	1.63
	4. विशाखापटनम	-	1.63
	5. बारांगल	-	1.54
आसाम	6. डिगबोई	2.32	-
	7. दुमदुमा तिनसुकिया	1.27	0.57
	8. लबाक-सिलचर	1.01	0.44
	9. गोहाटी	-	0.66
	10. भरियानी-जोरहाट	1.26	0.51
बिहार	11. रंगपाड़ा-तेजपुर	1.21	0.63
	12. जमशेदपुर	2.74	1.63
	13. झरिया	1.93	2.39
	14. कोडरमा	0.62	0.59
	15. मुगेर-जमालपुर	2.30	1.10
	16. नोवागुण्डी	0.34	1.22
	17. रांची-हटिया	-	1.35
गुजरात	18. अहमदाबाद	4.17	2.74
	19. बड़ौदा	-	0.88
	20. भावनगर	4.22	0.99
	21. राजकोट	-	1.17
	22. सुरत	-	0.86
हरियाणा	23. फरीदाबाद	-	1.17
	24. यमुनानगर	1.05	1.05
जम्मू व काश्मीर	25. श्रीनगर	0.18	0.22
कर्नाटक	26. अम्पाथी	0.85	-
	27. बंगलूर	4.29	3.27
	28. बेलगाम	-	1.33
	29. चिकमंगलूर	0.71	-

	30. कोलारगोल्डफील्ड	1.04	
	31. हुब्ली-धारवार	-	1.29
	32. मरकारा	-	1.16
केरल	33. अलेप्पी	1.23	-
	34. अलवाय	2.02	1.58
	35. मुदांकयम	2.73	1.01
	36. किल्लो	-	0.58
	37. त्रिवेंद्रम	-	1.02
मध्य प्रदेश	38. बालाघाट	0.97	1.37
	39. भिलाई	-	1.91
	40. भोपाल	1.09	1.51
	41. ग्वालियर	1.16	
	42. इन्दौर	1.12	1.28
	43. जबलपुर	-	1.32
महाराष्ट्र	44. बम्बई	8.48	7.87
	45. नागपुर	4.49	1.56
	46. नासिक	-	2.04
	47. पूना	-	1.94
	48. सोलापुर	3.23	1.24
उड़ीसा	49. बरविल	0.39	0.80
	50. राउरकेला	-	1.67
	51. संबलपुर	0.24	-
पंजाब	52. अमृतसर	1.28	1.86
	53. लुधियाना	-	1.17
राजस्थान	54. अजमेर	1.59	0.93
	55. जयपुर	0.64	1.25
तमिलनाडू	56. कोयम्बदूर	2.43	1.89
	57. कुनूर	1.82	1.54
	58. मद्रास	2.62	3.47
	59. मदुराई	2.72	1.51
	60. सेलान	-	1.16
	61. तिरुचिरापल्ली	-	1.35
उत्तर प्रदेश	62. आगरा	-	1.09

	63. गाजियाबाद	-	1.27
	64. कानपुर	1.76	1.30
	65. सहारनपुर	1.68	2.38
	66. वाराणसी	1.99	1.42
पश्चिम बंगाल	67. आसनसोल	3.52	1.00
	68. कलकत्ता	6.22	4.24
	69. दार्जिलिंग	0.58	0.59
	70. दुर्गापुर	-	0.98
	71. हल्दिया	-	0.83
	72. हावड़ा	2.89	1.78
	73. जलपाईगुड़ी	1.74	0.94
	74. रानीगंज	1.79	1.31
चण्डीगढ़	75. चण्डीगढ़	-	0.16
दिल्ली	76. दिल्ली	1.44	1.79
पाण्डेचरी	77. पाण्डेचरी		0.25
	कुल जोड़	100.0	100.00

सील कमेटी की सिफारिशें :-

रथ समिति की सिफारिशों पर विचार करने और नई श्रृंखला शुरू करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय श्रम संघों के प्रतिनिधियों से बिना विचार विमर्श किए डा. के. सी. सील डायरेक्टर जनरल सेन्ट्रल स्टेटिकल आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जो "सील कमेटी" के नाम से जानी जाती है। इस समिति में केवल भारत सरकार के नुमाइन्दे थे और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। समिति ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए 40 व्यक्तियों से भेंट किया। भेंट करने वालों में कोई भी ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधि नहीं था और बिना ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का विचार जाने नई श्रृंखला का नया ढांचा तैयार किया गया और सूचकांक की नई श्रृंखला तैयार करने के काम में भारत सरकार जुट गई। सील समिति के बिना कोई ठोस कारण बताये रथ समिति तक की कुछ सिफारिशों को रद्द कर दिया। इस समिति के सदस्य जो सचिव थे, उन्होंने ही इस रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर किये। 1971 की श्रृंखला रद्द हो जाने के बाद भारत सरकार चुपचाप नई श्रृंखला निर्माण करने की पूरी तैयारी कर रही थी। लेबर व्यूरो शिमला ने अनेक केन्द्रों पर ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को समझाया कि किस प्रकार नयी श्रृंखला के लिए पारिवारिक बजट की जांच की जा रही है। इस प्रकार चुपचाप पारिवारिक वजट की जांच करने के बाद नई श्रृंखला तैयार की गई।

डा. सील ने कहा कि -

1. राशन की दुकान पर मिलने वाली चीजों की क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि रथ समिति ने अपनी सिफारिशों में ध्यान देने को कहा था।
2. रथ ने राशन की दुकान से तथा खुले बाजार से खरीदे गये राशन की कीमतों में समायोजन करने की सिफारिश की थी - सील ने इसे नहीं माना।
3. सील ने किसी दुकान पर केवल उपलब्धि की मौजूदा परम्परा को कायम रखने पर जोर दिया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यदि मजदूर राशन की दुकान से कोई सामान इसलिए नहीं खरीदता है कि वह घटिया है और वह खुली बाजार से अच्छी चीजें मंहगे दाम में खरीदता है, तो कीमतें इकट्ठे करने वाले अधिकारी राशन की दुकान पर उपलब्ध मात्रा के आधार पर राशन की कीमतों के भार को मारेंगे और वे खुले बाजार की कीमतों को नजरंदाज कर देंगे।

वर्ष 1982 की श्रृंखला :-

विगत श्रृंखला की जानकारी दी जा चुकी है और वर्ष 1982 की श्रृंखला पर ही वर्तमान समय में देश के सर्व दूर फैले मजदूरों के मंहगाई भले का भुगतान होता है। इस श्रृंखला के लागू होने से पूर्व, वर्ष 1960=100 की श्रृंखला के बारे में सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों ने आपत्ति प्रकट

किया था। नीलकंठ रथ की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई थी, जिसमें केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे तथा कमेटी की अनुशंसाएँ भी आईं, जिसको संक्षिप्त विवरण इसके पहले दिया जा चुका है। इसके बाद सील कमेटी का गठन हुआ। इस समिति को मुख्य रूप से यह काम दिया गया कि समिति यह विचार करके बताए कि क्या 1980-81 की नई श्रृंखला तैयार की जाय। सील कमेटी ने रथ कमेटी की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया। अखिल भारतीय स्तर पर सलाहकार समिति गठन किये जाने पर भी सील कमेटी ने अपनी सहमति नहीं दी। इसके स्थान पर सील कमेटी ने राज्य स्तर पर समिति गठन करने का सुझाव दिया—जैसे कि महाराष्ट्र में है। समिति में हाई कोर्ट का अवकाश प्राप्त जज अध्यक्ष हो, कुछ राज्य के अधिकारियों के साथ ही उसमें कुछ अर्थशास्त्री भी रखे जाय, किन्तु सरकार ने इन अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया। ट्रेड यूनियनों की भी घोर उपेक्षा की गई। भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मत है कि मूल्य संकलन कार्य में ट्रेड यूनियनों का सहयोग अवश्य लिया जाय। ऐसा विश्वास है कि यदि इस कार्य में ट्रेड यूनियनों का सहयोग लिया गया तो मूल्य सूचकांक की विश्वसनीयता बढ़ेगी साथ ही लेबर व्यूरो शिमला के प्रति जो अविश्वास का वातावरण बना है—वह भी कम होगा।

सरकार ने नई सीरीज लागू करने का मन बना लिया था, किन्तु वह चाहती थी कि इस श्रृंखला पर श्रम संगठनों की सहमति हो जाय। मजदूर संगठन नई सीरीज लागू करने से पूर्व 26 वर्ष की श्रृंखला में, जो त्रुटियाँ थीं उसको दूर करने के लिए दबाव डाल रहे थे। डा. रथ की अध्यक्षता में बनी समिति ने भी सुझाव दिया था कि त्रुटियों को दूर कर दिया जाय किन्तु सरकार पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। लालफीता शाही सरकार पर हाबी रही और मजदूर पक्ष की बातों पर गौर नहीं किया गया। बात सही है कि बिना 1960 की सीरीज में आवश्यक सुधार किये 1982 की सीरीज लागू करना उचित नहीं था, किन्तु सरकार का नई सीरीज लागू करने का दृढ़ निश्चय था—इसलिए ट्रेड यूनियनों के सामने इस सीरीज को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

केन्द्रों का चयन

वर्ष 1982 की सीरीज में जो अखिल भारतीय सूचकांक तैयार करने के लिए केन्द्रों का चयन किया गया। वह ठीक नहीं था बिहार के 6 केन्द्रों के अलग-अलग भार का योग 8.28 है, जब कि इन केन्द्रों पर देश के समस्त मजदूरों का 8.28 प्रतिशत मजदूर रहता है। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में देश के समस्त मजदूरों का 14.6 प्रतिशत मजदूर रहता है किन्तु केन्द्र की संख्या 5 है। पश्चिम बंगाल में 11.67 प्रतिशत रहता है किन्तु केन्द्र की संख्या 8 है तथा तामिलनाडू का मजदूर प्रतिशत 10.92 है किन्तु केन्द्र केवल 6 हैं। आन्ध्र और गुजरात का समस्त भार क्रमशः 7.05 और 4.08 है अर्थात् आन्ध्र में मजदूरों की संख्या ज्यादा है अपेक्षा गुजरात के किन्तु दोनों के केन्द्र समान हैं अर्थात् प्रत्येक के केन्द्र 5 हैं। यदि केन्द्रों के भार का तात्पर्य मजदूरों की संख्या से है तो महाराष्ट्र

के दो केन्द्र और होने चाहिए। केन्द्रों की संख्या 70 है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तभी मजदूरों की संख्या के अनुसार जो केन्द्र बनाये गये हैं और भार निर्धारित किये गए हैं कुछ अर्थों में सार्थक हो सकते हैं।

कथनी करनी में अन्तर

सरकार जो कर्मचारियों की संख्या बताती है वह भी विश्वसनीय नहीं है। कारण कि कई नए औद्योगिक केन्द्र बन गए हैं। लेबर ब्यूरो शिमला तो यह कहते थकता नहीं कि छोटे-छोटे केन्द्र बनाए जायें, किन्तु लेबर ब्यूरो शिमला ने उड़ीसा के जो दो नये केन्द्र 1981-1982 की श्रृंखला को तैयार करने के लिए चुने थे, उनके सर्वेक्षण कार्य के खर्च के रूप में दो लाख रुपये उड़ीसा प्रदेश की सरकार से मांगे। लेबर ब्यूरो शिमला 77 केन्द्रों पर इस समय सर्वेक्षण कार्य करता है। उड़ीसा में सर्वेक्षण का खर्च 1.5 करोड़ रूपया है। कुछ लाख रूपया बचाने के लिए विधिवत् एवं विस्तृत सर्वेक्षण न होने के कारण जो सूचकांक में त्रुटियां आती हैं, उससे तो मजदूरों को कई करोड़ की हानि उठानी पड़ेगी। अतः केन्द्र बढ़ाकर विधिवत् सर्वेक्षण किया जाय और कुछ रुपये बचाने के मोह का त्याग किया जाय।

पारिवारिक बजट की जांच करते समय परिवारों की संख्या में भी कमी की गई। इस सर्वे के समय सेम्पुल साइज भी घटाए गये। वर्ष 1960 में आइटम 175 थे उसे बढ़ाकर 260 नई सीरीज में किया गया किन्तु यह कहना कठिन है कि यह फैमिली बजट सर्वे के आधार पर किया गया कि नहीं? बास्केट में कुछ टिकाऊ किस्म के आइटम भी जोड़े गये। ब्यूरो को इन सभी बातों के लिए श्रमिक संगठनों से विचार विमर्श करना चाहिए था, किन्तु श्रमिक संगठनों से विचार विमर्श नहीं किया गया।

मूल्य संकलन के लिए बाजार का चयन तथा उसमें दुकान का निर्धारण कार्य किस आधार पर किया गया इसकी भी जानकारी श्रमिक प्रतिनिधियों को नहीं दी गई। 1958-59 के सर्वेक्षण के समय यह संख्या 141 थी और 1980-81 के सर्वेक्षण में 226 कर दी गई थी। दुकानों की संख्या यदि बढ़ाई भी गई तो केवल एक या दो बाजारों में। बम्बई और दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में कर्मचारी दूर-दूर रहता था जहां लेबर कालोनीज नहीं थी, जिसका स्पष्ट अर्थ था कि बाजारों की संख्या बढ़ाई जाती, किन्तु बढ़ाई नहीं गई। जहां आइटम की गुणवत्ता का प्रश्न था उसमें भी बहुत सी भिन्नताएं और विसंगतियां थी। उदाहरण के लिए दही की कीमत किलो में थी, जबकि मजदूर कुछ ग्राम दही खरीदता था। भारतीय मजदूर संघ की दृष्टि से इस प्रकार से कीमतें संग्रह करने का कार्य ठीक नहीं था, जिसके कारण इसमें बहुत अशुद्धियां थी। यह साधारण अनुभव की बात है कि नीबू एक या दो की संख्या में मजदूर खरीदता है न कि किलोग्राम में, जबकि कीमतों की संख्या किलोग्राम के भाव एकत्रित किया गया। यही बात अन्डे के बारे में लागू होती है। इसलिए कीमतों के संग्रह का कार्य दोषपूर्ण था। मजदूर फुटकर खरीद में अधिक जैसे खर्च करता था जबकि

सूचकांक संकलनकर्ता ने कीमतें किलो भाव से संकलित किया, जो स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण पद्धति थी ।

रथ कमेटी ने अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जिस केन्द्र पर अधिक बाजार हो वहां पर मूल्य संग्रहकर्ता पूर्णकालिक रखे जाँय, किन्तु मूल्य संग्रह का कार्य रथ समिति की अनुशंसानुसार न होकर सील समिति के अनुसार किया गया । भारतीय मजदूर संघ के विचार से मूल्य संकलन कार्य की शुद्धता की बहुत कम गुंजाइस है । मूल्य संग्रह के संबंध में रथ समिति की अनुशंसाओं को पूरी तरह नकार दिया गया । दिल्ली कानपुर केन्द्रों पर 100 रु. मासिक संग्रहकर्ता को पारिश्रमिक दिया जाता है । संग्रहकर्ता राज्य कर्मचारी होता है । उसको कार्यस्थल से बाजार की दूरी के अनुसार यात्रा भत्ता मिलता है ।

जहां तक मकान भत्ते के सूचकांक संग्रह का प्रश्न है-लेबर व्यूरो शिमला ने डा. रथ समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया । डा. रथ ने उपभोक्ता सूचकांक का अध्ययन किया और अनुभव किया कि सूचकांक में 7 अंको की वृद्धि होनी चाहिए । डा. रथ की इन अनुशंसाओं पर ध्यान नहीं दिया गया और त्रुटियां बराबर बनी रहीं । मकान किराये को अनुपातिक आधार पर संकलन का विरोध सब दूर हो रहा है । वर्ष 1982=100 की सीरीज में यह बात ठीक नहीं है । मकान किराये के बारे में, जो रथ समिति की अनुशंसाएं हैं, उसे क्रियान्वित किया जाय । अन्यथा यह बात निश्चित हो जाएगी कि लेबर व्यूरो शिमला के माध्यम से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने में भारत सरकार जानबूझकर धोखाधड़ी करना चाहती है ।

तैयार भोजन के संबंध में, उदाहरण के लिए चावल प्लेट-थाली, मिठाई प्लेट या पीस, स्नेक्स, एक कप चाय या काफी- यह सब चीजें अलग-अलग हैं । इनकी कीमतें खाद्यान्न वर्ग पर वितरित की जाती हैं किन्तु सर्विस चार्ज को नहीं इकट्ठा किया जाता है- जबकि कर्मचारी उसका भी भुगतान करता है । इसके स्वाद पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है । इस संबंध में संशोधन कर उन सभी खर्चों को जोड़कर रखा जाय, जो तैयार भोजन के लिए मजदूर को भुगतान करना पड़ता है ।

भारत सरकार ने यह मान लिया है कि केवल कलकत्ता को छोड़कर कानूनन राशनिंग को समाप्त किया जाय । ब्लैक मार्केट द्वारा खरीदे गए सामान की कीमतों को शामिल किया जाय या न किया जाय यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसके सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेना उचित होगा । जब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक मूल्य संकलनकर्ता को ब्लैक मार्केट के मूल्य को संकलन करना ही होगा । 1958 से पूर्व ब्लैक मार्केट की कीमतें इकट्ठा की जाती थीं । टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने यह कहकर कि ब्लैक मार्केट की दुकानें निश्चित नहीं रहती हैं, इसलिए मूल्य संकलन सम्यक नहीं है । ब्लैक मार्केट से कीमतें इकट्ठा करने को मना किया, जबकि जो मजदूर ब्लैक मार्केट से सामान खरीदता है उसी से पता लगाकर ब्लैक मार्केट की कीमतों का संकलन किया जा सकता है ।

सारी बातों पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कई स्तरों पर त्रुटियों के सुधार की आवश्यकता है। साथ ही कर्मचारियों को भी विश्वास में लेना होगा कि मूल्य संकलन का कार्य ठीक से हो रहा है, किन्तु ट्रेड यूनियनों की इस कार्य में जब तक सहभागिता नहीं होगी, तबतक मजदूरों में विश्वास उत्पन्न कराना कठिन होगा। यह कार्य तो ट्रेड यूनियनों द्वारा ही मजदूरों से सम्पर्क करके किया जा सकता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि-

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन और संगणना में ट्रेड यूनियनों का सहयोग होना चाहिए।
2. केन्द्र और राज्य स्तर पर सलाहकार समिति का गठन किया जाय-इसमें विलम्ब करना अनुचित होगा।
3. वर्ष 1982=100 की श्रृंखला के 11 वर्ष हो गए हैं। अतः अविलम्ब नई श्रृंखला तैयार करने की कार्यवाही की जाय।
4. सेम्पुल सर्वे में, जो गुणवत्ता में गिरावट आई है, उसका सुधार किया जाय।
5. रथ समिति ने जो यह बात कहा था कि सूचकांक में 7 अंको की कमी है- इस बात को ध्यान में रखकर वर्तमान सूचकांक में संशोधन किया जाय।
6. जहां तक सुधार का प्रश्न है सर्व प्रथम 1960 की श्रृंखला की समस्त त्रुटियों का सुधार किया जाय। तत्पश्चात् 1982 की त्रुटियों में सुधार किया जाय। यदि त्रुटियों में सुधार नहीं किया जाता है, तो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की विश्वसनीयता कायम नहीं हो सकती है। अतः त्रुटियों को सुधारना अति आवश्यक है।

1982 की श्रृंखला को विलम्ब से लागू किया गया

1982 की श्रृंखला को विलम्ब से लागू किये जाने के कुछ कारण थे। आधार वर्ष 1960 श्रृंखला के अंक 1985 में जनवरी से दिसम्बर तक अधिक थे, नई श्रृंखला के अंक को जब परिवर्तित गुणक 4.75 से गुणा किया गया तो पता चला कि ये अंक 15 से 23 तक 1960 श्रृंखला से कम हैं। यदि उस समय 1982 की श्रृंखला को लागू किया जाता तो बहुत बड़ी हायतोबा मच जाती। इसीलिए 1986, 1987 व 1988 वर्षों के नई श्रृंखला के अंक निकाले गये और आधार वर्ष 1960 की श्रृंखला में परिवर्तित करने पर पता चला कि 4.93 जो परिवर्तित गुणक आया है उससे आधार वर्ष 1982 की श्रृंखला के अंक 1960 में परिवर्तन करने पर अन्तर नहीं रहेगा। इसलिए अक्टूबर 1988 से 1982 सीरीज के अंक श्रमिकों के मंहगाई भत्ता भुगतान तथा वेतन पुनरीक्षण के लिए लागू किये गए। 1982 की श्रृंखला को लागू किये जाने में विलम्ब का यही कारण था। विस्तृत जानकारी निम्नांकित चार्ट से मिल सकती है।

वर्ष 1985 के वर्ष भर के सूचकांक	1982 श्रृंखलानुसार सूचकांक	1960 श्रृंखलानुसार सूचकांक	गुणसूत्र	1982 श्रृंखला के अंक 1960 में परिवर्तित करने पर सूचकांक	
	(क)	(ख)	(ग)	(च)	(घ)
जनवरी	119	588	4.75x119=	563	-23
फरवरी	119	585	4.75x119=	565	-20
मार्च	120	586	4.75x120=	570	-16
अप्रैल	122	594	4.75x122=	579	-15
मई	123	600	4.75x123=	584	-16
जून	124	606	4.75x124=	589	-17
जुलाई	126	-615	4.75x126=	598	-17
अगस्त	126	618	4.75x126=	598	-20
सितम्बर	126	619	4.75x126=	598	-21
अक्टूबर	127	625	4.75x127=	603	-22
नवम्बर	128	630	4.75x128=	608	-22
दिसम्बर	128	630	4.75x128=	608	-22

'क' के अंकों को जब गुणक 4.75 से गुणा किया जो 'ग' में दर्शाया गया है से पता चला कि 'च' के अंक 'ख' में अंकित अंक से कम हैं, कमी 'घ' में अंकित है। उपरोक्त तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि 1982 की श्रृंखला को 1985 में लागू कर दिया गया होता तो मजदूरों में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त हो जाता, कारण कि जो अंक नई श्रृंखला के थे और जब उन्हें 1960 की श्रृंखला में परिवर्तित किया गया तो 15 से 23 अंक घट गये। इसका अर्थ यह हुआ कि 15 से 23 अंक का मंहगाई भत्ता मजदूरों को कम मिलता। यह विवरण चार्ट में विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। जब 1982 सीरीज के अनुसार 1986, 87 व 88 के अंक निकाले गये तो सूचकांक में कुछ सुधार हुआ तथा गुणक भी 4.75 से बदलकर 4.93 हो गया। पहले और आगे के अंकों में अंतर होने का अर्थ हुआ कि कहीं न कहीं कमी है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। सूचकांक संकलन कार्य में दस लोगों से विचार विमर्श करके सुधार लाया जाय तो ठीक रहेगा। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो श्रमिकों के मन में शंका बनी रहेगी। यह शंका बनी रहना एक बहुत बड़े असंतोष का कारण बनेगी। यह बात ठीक नहीं होगी कि असन्तोष के वातावरण में सूचकांक संकलन का कार्य जारी रहे। अतः इसके लिए ऐसे उपाय करना चाहिए कि श्रमिकों को भी विश्वास हो जाय कि शिमला ब्यूरो जो सूचकांक प्रकाशित करता है वह सही है।

भार निकालने की पद्धति :-

भार निकालने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि जन संख्या के वर्ग विशेष जिनसे सूचकांक संबंधित हैं के परिवारों के बजट के नमूना के आधार पर जांच की जाय। इस जांच से एक औसत बजट का पता चलता है, जो जनसंख्या के वर्ग विशेष के उपभोग में आने वाली वस्तुओं और प्रत्येक वस्तु पर होने वाले औसत खर्च को दर्शाता है। इन वस्तुओं को विशिष्ट उपभोग वर्ग में बांटा जाता है। यद्यपि उपभोग के प्रत्येक वर्ग से वस्तुओं के एक नमूने को ही सूचकांक में शामिल करने के लिए चुना जाता है, तथापि यह ध्यान में रखा जाता है कि सूचकांक में शामिल की गई वस्तुएं औसत बजट में आने वाली सभी वस्तुओं की कीमतों की घट बढ़कर प्रतिनिधित्व कर सकें। प्रत्येक चुनी गई वस्तु पर होने वाला खर्च औसत बजट में दिखाए गए खर्च के बराबर होता है। इसके अलावा इसमें औसत बजट में शामिल कुछ ऐसी वस्तुओं पर होने वाले खर्च जोड़ दिए जाते हैं, जिनको सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन जिनके बारे में यह माना जा सकता है कि उनकी कीमत सूचकांक में शामिल की गई वस्तुओं की कीमत के अनुरूप घटती-बढ़ती रहती है। जब किसी वस्तु के खर्च को उप वर्ग की कई वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है तब इन वस्तुओं के व्यय के अनुपात में ही उस वस्तु का व्यय आरोपित होता है। इस प्रकार अन्ततोगत्वा उस वस्तु का कुल खर्च अपने खर्च और उस पर आरोपित खर्च के जोड़ के बराबर हो जाता है। इस खर्च को वर्ग में सम्मिलित सभी वस्तुओं के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में व्यय किया जाता है और यह प्रतिशत उस वस्तु का भार कहा जाता है। इस प्रकार एक में शामिल सभी वस्तुओं का भार भी मिलकर 100 हो जाएगा किन्तु इस प्रक्रिया से औसत बजट में दिखाया गया वर्ग का सारा खर्च पूरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं रह जाती हैं, जिनका खर्च वर्ग स्तर पर आरोपित किया जाता है। इसलिए वर्गों के लिए अलग भारों की गणना की जाती है। औसत बजट में एक वर्ग की वस्तुओं पर जितना कुल खर्च दिखाया जाता है। उसे बजट में शामिल सभी वर्गों के कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में दिखाकर उस वर्ग का भार निकाला जाता है। इस प्रकार सभी वर्गों का भार भी 100 हो जाता है।

भारों की स्थिरता :-

एक बार पारिवारिक बजट जांच लेने पर जो भार औसत बना लिया जाता है, उसे स्थिर रखा जाता है, क्योंकि यदि उसे बार-बार बदलते रहें तो उपभोक्ता सूचकांक न केवल कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को दर्शायेंगे, अपितु वे भारों के बदलने से होने वाले परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करेंगे। चूंकि एक भार एक निश्चित अवधि में पारिवारिक बजट जांच की अवधि में संख्या के एक विशिष्ट वर्ग के खर्च के ढंग पर आधारित होते हैं और चूंकि उस वर्ग के खर्च का ढंग हमेशा स्थिर नहीं रहता, इसलिए यह आवश्यक है कि समय समय पर नए सिरे से की जाने वाली पारिवारिक बजट जांचों के आधार पर भार आरेख को सुधारा जाय। तदनुसार नए उपभोक्ता कीमत सूचकांकों की श्रेणी शुरू करने की आवश्यकता होती है। यह सुधार सामान्य समय में 10-15

साल के अन्तर पर किया जाता है, जो उचित नहीं है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक की एक विशिष्ट श्रेणी के दौरान सामान्यतया भारों को स्थिर रखा जाता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन किये जा सकते हैं। साधारणतया इस अवधि में भी जनसंख्या के वर्ग के खर्च के ढंग में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि भारों के इस प्रकार के परिवर्तन का अन्तिम उपभोक्ता कीमत सूचकांकों पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एक उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रेणी के दौरान खर्च के ढंग में, जो सामान्य परिवर्तन होते हैं, उनसे स्थिर भार यकायक अमान्य नहीं हो जाते। इसके अतिरिक्त थोड़े-थोड़े समय पर बड़े पैमाने पर पारिवारिक वजट जांच करवाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक व्यय होता है-ऐसा सरकार का कहना है। वास्तव में जब कभी उपभोक्ता कीमत सूचकांकों की श्रेणी को सुधारने का निर्णय किया जाता है, उस समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रयोग में आने वाली कीमतें :-

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रयोग में आने वाली कीमतों की जानकारी के लिए हम यहाँ बताना उचित समझते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रेणी में अन्य सभी बातों की अपेक्षा कीमतें ही अधिक महत्वपूर्ण होती हैं मुख्य रूप से कीमतों के आंकड़ों पर ही सूचकांक की विश्वसनीयता निर्भर होती है। अतः इसके लिए निम्नांकित जानकारी रहना आवश्यक है :-

1. सूचकांक जनसंख्या के जिस वर्ग से संबंधित होते हैं उस वर्ग द्वारा दी जाने वाली कीमतों को ही सूचकांक संबंधी गणना के कार्य में प्रयुक्त किया जाता है।
2. इस कार्य में केवल फुटकर कीमतें ही ली जानी चाहिए।
3. सेवाओं के बदले में उपभोक्ताओं से जो शुल्क लिया जाता है, उसे ही कीमत माना जाता है।
4. आधार अवधि से लेकर आगे हर माह कीमतें इकट्ठा करना पड़ता है।
5. सामान्य पारिवारिक वजट के साथ-साथ कीमतों के आंकड़े इकट्ठे करने का काम भी जारी रखा जाता है।
6. जिन मर्दों या वस्तु और सेवाओं को अन्तिम रूप से सूचकांक में शामिल करना होता है, उनकी कीमतों का संकलन करना बहुत आवश्यक है।
7. जनसंख्या वर्ग के उपभोग की आदतों के बारे में स्थानीय पूछताछ के आधार पर ही मर्दों को चुना जाता है। साथ ही मर्दों की सूची जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी रखी जाती है, ताकि ऐसा कोई महत्वपूर्ण मद छूट न जाय, जिसे अन्त में सूचकांक में शामिल किया जाना हो।
8. मकानों के किराये इकट्ठा करने के लिए नियत कालिक जैसे हर छमाही छोटे-छोटे नमूना सर्वेक्षण करने का भी प्रबन्ध होना चाहिए। उन सभी केन्द्रों पर जिनके लिए

श्रम ब्यूरो नई श्रेणियां संकलित करता है, नियत कालिक मकान किरायों के आंकड़े न किराये वर्ष में दो बार इकट्ठा किया जाता है, जिसका तात्पर्य है कि वर्ष में दो बार आवास वर्ग सूचकांक संशोधित किया जाता है। अन्य वस्तुओं की भांति मकान किराये में हर माह अधिक परिवर्तन नहीं होते हैं। इसलिए यह आंकलन करना स्वाभाविक है कि मकान किराये में होने वाले परिवर्तनों को छमाही संशोधन भली भांति व्यक्त करेंगे।

9. जहां तक खान और बगानों के केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सम्बन्ध है, आवास वर्ग सूचकांक को 100 आधार स्तर पर स्थिर रखा गया है क्योंकि इन केन्द्रों पर अधिकतर श्रमिकों को मकान मुफ्त तथा बिना किराये के मिले होते हैं।

कीमत संग्रह के उद्देश्य :-

इस बात को ध्यान में रखकर कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों के ही सूचक हों, कीमत संग्रह के कार्य को इस ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए कि उसमें शुद्ध रूप से कीमत परिवर्तन के आंकड़े आ जाँय। इसमें सूचकांक में शामिल प्रत्येक वस्तु अथवा सेवा की केवल वही कीमतें दी जायं जो निरन्तर अवधियों में सम्बन्धित जनसंख्या को वास्तव में देनी पड़ी हों। जनसंख्या का कोई वर्ग एक वस्तु अथवा सेवा की अनेक किस्मों का प्रयोग करता है, वे कई दुकानों अथवा स्थानों से खरीदी जाती हैं। और यह खरीद का काम महीने के सभी दिनों में चलता रहता है। यद्यपि मात्रा सदा एक सी नहीं रहती, किन्तु खेद है कि सब किस्म की वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमतों को हर रोज हर दुकान से इकट्ठा नहीं किया जाता है। इसलिए कीमत संग्रह के काम के लिए इनमें से प्रत्येक का चुनाव किया जाता है। कई प्रकार की वस्तुओं के उतार-चढ़ाव को प्रकट करने के लिए प्रायः किसी एक वस्तु अथवा सेवा को चुन लिया जाता है। कभी-कभी कुछ वस्तुओं अथवा सेवाओं की एक से अधिक किस्मों की कीमतों को कुछ चुनी हुई दुकानों से इकट्ठा किया जाता है। यह दुकाने ऐसी चुनी जाती हैं कि इनसे संबन्धित जनसंख्या वर्ग द्वारा प्रथम प्राप्त सभी दुकानों की कीमतों के रुख का पता चल जाए। इसी प्रकार महीने के कुछ चुने हुए दिनों में ही कीमतें इकट्ठी की जाती हैं। यह दिन ऐसे चुने जाते हैं कि इनसे महीने भर की कीमतों के रुख पता चल जाए। इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करने के उद्देश्य से कीमतें इकट्ठी करने के काम में नमूना चुनना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन सब बातों का चुनाव संबन्धित संख्या वर्ग की उपभोग और खरीद की आदतों, बाजार की गतिविधियों आदि के सूक्ष्म अध्ययन के अनुभव के आधार पर किया जाता है।

मुख्य उद्देश्य तो केवल कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को आंकना रहता है, अतः यह आवश्यक है कि जहां तक सम्भव हो, चुनी हुई वस्तुओं, दुकानों और कीमतों के इकट्ठा करने के दिनों में, यदि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उत्तम होता। उदाहरण के लिए एक बार हम मध्यम किस्म की धोती की कीमतें लें और दूसरी बार बढ़िया किस्म की धोती की

कीमते लें तो दोनों कीमतों को एक-दूसरे से मिलाने पर कीमत परिवर्तन का ठीक अन्दाजा नहीं हो पाएगा, कारण कि धोतियों की किस्म बदल गई हैं। इसी प्रकार लाभ की गुंजाइश स्थानगत फायदे, प्रतियोगिता की मात्रा, लोकप्रियता आदि अनेक कारणों से साधारणतया एक दुकान से दूसरी दुकान में उसी किस्म की वस्तु या सेवा के लिए कीमतों में अन्तर हो सकता है। स्वभावतः यदि कीमतें लेने के लिए एक दिन एक दुकान से तो दूसरे दिन दूसरी दुकान से कीमतें ली जायं तो कीमतों के अन्तर में इनसे कोई संबन्ध न रखने वाला एक भ्रामक तत्व बीच में आ जाएगा। कीमतों की यूनियों के बारे में भी यही तर्क लागू होता है। ताजी तरकारी और मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में तो उनका समय तक निर्धारित करना जरूरी होता है। जैसे-प्रातः मध्याह्न अथवा सायं आदि।

इस तरह कीमतें इकट्ठा करने के लिए हमेशा एक ही दिन यहां तक कि एक ही समय रखना आवश्यक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कीमते इकट्ठा करने का एक मात्र तरीका अभी तक यही अपनाया गया है।

परिवर्तनों का समायोजन :-

यदि उपर्युक्त विशेषताओं में थोड़ा सा भी अन्तर पड़ता है तो कीमतों के आंकड़ों से तुरन्त उपयुक्त समायोजन करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि एक अवधि की कीमत की ठीक तरह से तुलना की जा सके और उनसे शुद्ध रूपेण कीमतों का ही अन्तर परिलक्षित होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, किस्म सबन्धी परिवर्तन है। इसके लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस प्रकार के परिवर्तन से सूचकांक में बहुत बड़ी गलती होने की सम्भावना रहती है। इसलिए सूचकांक में शामिल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की किस्म में किसी तरह के परिवर्तन के प्रभाव से बचने का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बात को निश्चित करने के लिए कि सूचकांक में शामिल प्रत्येक वस्तु और सेवा की निर्धारित किस्म की सेवा के आंकड़े ही इकट्ठे किए जायं। प्रायः प्रत्येक किस्म का उल्लेख विस्तार से किया जाना आवश्यक है। इसमें उस किस्म का नाम जैसे ब्रांड, स्थानीय नाम आदि, ग्रेड बढ़िया, मध्यम या साधारण और अन्य वस्तुगत विशेषताएं जैसे रंग, आकार, बनावट आदि बातें दी जाती हैं। उदाहरण के लिए चावल की किस्म का उल्लेख ऐसे किया जाता है, गुरमुटिया, मिल्का चावल, कम सफेद, कुछ दूटे दाने मिले हुए, देहरादून आदि की सहायता से कीमत संग्रहकर्ता को एक दुकान से दूसरी दुकान में और कीमतें इकट्ठी करने की एक अवधि से दूसरी अवधि में वस्तुओं अथवा सेवाओं की चुनी हुई किस्म को पहचानने में मदद मिलती है। इन विशिष्टियों को विधिवत् और बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता है। इनको तैयार करने में स्वतंत्र रूप से व्यापक पैमाने पर बाजार में जांच पड़ताल की जाती है, किन्तु यदि निर्माताओं तथा अनुभवी दुकानदारों से सलाह लेकर कीमतें इकट्ठा करने का काम किया जाय तो ठीक रहेगा। जिन वस्तुओं की कीमतें इकट्ठा की जाती हैं, उनके वास्तविक नमूनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। खेद है कि इस प्रकार के नमूने सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी

वस्तु या सेवा की विशिष्टियों का प्रयोजन उस वस्तु या सेवा को उन किस्मों का विवरण देना होता है, जिनकी कीमतों के आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं। यह उनकी किसी अनूठी विशेषता का विवरण देने के लिए नहीं निर्धारित की जाती हैं। विशिष्ट द्वारा बताए गये किस्म के दायरे बहुत संकीर्ण होने चाहिए, ताकि कीमतों में होने वाले विशुद्ध परिवर्तनों के आंकड़ों में किसी प्रकार की गलती न हो, किन्तु साथ ही ऐसे होने चाहिए कि इनकी मदद से निरन्तर कीमतें इकट्ठी की जा सकें। विशिष्टियों का विवरण देने में प्रायः एक विशेष किस्म जैसे स्थानीय नाम, ब्रांड, मिल का नाम आदि, का जिक्र किया जाता है, जिससे उनकी कीमतें इकट्ठा करने में सहायता मिल सके, किन्तु यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ और भी किस्म हो सकती हैं, जिन पर वे विशिष्टियां लागू हों और चुनी हुई किस्मों के कीमत के दायरे में आती हों। इसलिए यदि उल्लिखित विशिष्टियों वाली किस्म बाजार में नहीं मिलती हैं तो उसके स्थान पर किसी अन्य किस्म की कीमत भी ली जाती है, जिस पर वे विशिष्टियां पूरी उतरती हों। इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन कहते हैं। जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। कीमतें इकट्ठा करने में इस प्रक्रिया का बार-बार सहारा लेना पड़ता है, विशेषरूप से कपड़ों के लिए क्योंकि दुकानों में प्रायः कपड़ों की किस्में समय-समय पर बदला करती हैं। बदली करते समय दो किस्मों विशिष्ट तथा बदली की गई की एक रूपता का निर्माण उनके रंग, बनावट, स्वाद, टिकाऊपन जैसी बाहरी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। केवल कीमत के आधार पर नहीं। यह काम प्रशिक्षित कीमत संग्रह ही कर सकता है। कभी कभी यह भी होता है कि विशिष्टियों के अनुरूप कोई किस्म बाजार में नहीं मिलती हैं। ऐसी दशा में कीमत संग्रहकर्ता सम्बंधित जनसंख्या वर्ग द्वारा बहुत अधिक इस्तेमाल की जाने वाली किस्म कीमत दर्ज कर सकता है। ऐसा करते समय उसे विशेष रूप से यह बता देना चाहिए कि वह किसी भिन्न चीज की कीमत दे रहा है। ऐसी कीमत का सूचकांक में गणना के लिए इस्तेमाल करने के पहले उसमें उचित समायोजन करना आवश्यक होता है, ताकि वह निर्धारित किस्म के अनुरूप हो जाएं। ऐसे समायोजन के लिए स्वीकृत तकनीकी तरीके हैं। इसके लिए कीमत संग्रहकर्ता को बाजार की स्थिति का विशेष अध्ययन करके अतिरिक्त विवरण इकट्ठा करना पड़ता है जैसे-पहली कीमत अवधियों के लिए नई किस्म की कीमतें इकट्ठी करना, किस्म भेद के कारण दोनों का अन्तर निकालना आदि।

कीमतों की यूनिटों के संबन्ध में भी यही सिद्धांत अपनाया जाता है, जैसे प्रति सेर, प्रति वस्तु, प्रति गज, आदि केवल ऐसे युनिट अपनाए जाते हैं जिनमें संबन्धित जनसंख्या वर्ग अधिकतर कोई वस्तु या सेवा खरीदता है। जहां तक दुकानों का प्रश्न है कीमतें इकट्ठी करने के लिए पहले से दुकाने चुन ली जाती हैं और कुछ रिजर्व कर ली जाती हैं। इससे काफी मात्रा में स्थिरता आ जाती है। कीमत संग्रहकर्ता जहां तक सम्भव हो चुनी हुई दुकानों से कीमत संग्रह करें, यदि यह सम्भव न हो तो रिजर्व दुकानों से कीमत संग्रह करें और यदि यह भी सम्भव न हो तब अन्त में बाजार की अन्य दुकानों से कीमतें इकट्ठी करें। यदि कीमतें इकट्ठी करने के लिए किसी नियत दिन दुकानें बदलनी पड़ती हैं तो इसके लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार

का समायोजन करना कठिन काम है, दूसरी बात यह है कि साधारणतः कीमतों के परिवर्तन को आंकने में इनसे कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक कीमतें इकट्ठी करने के दिन का सवाल है, श्रम ब्यूरो के उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रेणी के लिए कीमतों को प्रति सप्ताह इकट्ठा किया जाता है और सप्ताह में एक खास दिन को इस काम के लिए नियत कर दिया जाता है। इस दिन की विशेषता यह होती है कि संबन्धित जनसंख्या वर्ग अधिकतम खरीदारी इसी दिन करता है। प्रायः यह तिथियां किसी माह की 10 तारीख तक होती हैं, जब कर्मचारी का वेतन भिला होता है। जहां पंद्रहिया वेतन बढ़ता है वहां यह तिथियां 23 और 25 तारीख के मध्य हुआ करती हैं। वैसे कीमतें संग्रह करने की तिथि निश्चित रहती हैं किन्तु हड़ताल, बाजार बन्दी जिस कारण कीमतें इकट्ठा करने का काम सम्भव नहीं रहता निश्चित दिन के दूसरे दिन कीमतें इकट्ठी की जाती हैं।

कीमतों के आंकड़े की वास्तविकता :-

कीमत संग्रहकर्ता राज्य कर्मचारी होता है। यह जो कीमत एकत्रित करते हैं उस पर शंका होने पर पर्यवेक्षक बाजार में स्वयं जाकर उसकी मत की पुष्टि करता है। शिमला ब्यूरो के अधिकारी भी कभी-कभी जांच के लिए आते हैं। इतना सब व्यवस्था के बावजूद कीमतों के संग्रह का काफी लापरवाही बरती जाती है और अनियमितताएं रहती हैं, जिससे मजदूरों को नुकसान होता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन की प्रणाली:-

विभिन्न चुनी हुई वस्तुओं के भार और कीमतों से लास्पेयर फार्मूला नामक एक सांख्यिकीय सूत्र के अनुसार अंत में एक सूचकांक तैयार किया जाता है। लास्पेयर फार्मूला का आधार कीमत अनुपातों का भारित औसत है। भार आधार अवधि में उस वस्तु पर होने वाले खर्च के घटक होते हैं व्यवहार में इस सूत्र को लागू करने का अर्थ यह होता है कि आधार-अवधि में प्रति माह इकट्ठी की गई साप्ताहिक कीमत रिपोर्टों के आधार पर प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत निकाल ली जाय। इस कीमत को वस्तु की आधार कीमत कहा जाता है। और इसे स्थिर रखा जाता है। चालू अवधि के लिए, अर्थात् जिस महीने के लिए सूचकांक निकालने हों, उस महीने की कीमतों की जो साप्ताहिक रिपोर्ट दी जाती है उनसे उस मास की साधारण औसत कीमत निकाल ली जाती है। प्रत्येक वस्तु की चालू मास की कीमत और आधार कीमत जो कि स्थिर रखी जाती है का अनुपात उस वस्तु की कीमतों के परिवर्तन का मापक होता है। आधार कीमत को 100 मानकर प्रत्येक वस्तु की कीमत को उसके प्रतिशत अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रतिशत को उस वस्तु का कीमत अनुपात कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की एक से अधिक किस्मों की कीमतों को शामिल किया जाता है तो प्रत्येक किस्म की कीमत अनुपात की अलग-अलग गणना करके सब किस्मों के कीमत अनुपातों का साधारण औसत निकाल लिया जाता है। और उसे उस वस्तु का कीमत अनुपात मान लिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक वस्तु के कीमत अनुपात को उसके भार

द्वारा गुणा किया जाता है। एक वर्ग की सब वस्तुओं के गुणनफलों के जोड़ को सब वस्तुओं के भार के जोड़ से विभाजित किया जाता है। इस तरह जो संख्या प्राप्त होती है वह उस वर्ग का सूचकांक होती है।

आधार अवधि :-

जिस अवधि में पारिवारिक बजट की जांच होती है, उसी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रेणी की आधार अवधि मान ली जाती है। क्योंकि इसी जांच के फलस्वरूप भार निर्धारित किए जाते हैं और लास्पेयर फार्मूले के अनुसार भारों का संबन्ध आधार अवधि से होना चाहिए। कभी-कभी जिस अवधि में पारिवारिक बजट की जांच की जाती है, उसके आस पास की किसी दूसरी अवधि को ही आधार अवधि चुन लिया जाता है। यह काम इस अनुमान पर किया जाता है कि पारिवारिक बजट से, जो भार निकाले गए हैं उस आधार अवधि में वैसे ही थे, क्योंकि एक बार तैयार किया गया भार आरेख एक श्रेणी की पूरी अवधि अर्थात् 10 या 15 वर्ष तक इस पूर्ण धारणा से स्थिर रखा जाता है कि यह सम्भावित जनसंख्या वर्ग के खर्च के स्वरूप का इन वर्गों में प्रतिनिधित्व करता रहता है, इसलिए सामान्यतः पारिवारिक बजट जांच और सूचकांक के लिए किसी सामान्य आधार अवधि को ही चुना जाता है।

कभी कभी उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रेणी की आधार अवधि को बदलना आवश्यक हो जाता है। श्रम ब्यूरो की नई उपभोक्ता श्रेणियों के अलावा कई श्रेणियों को जिनका आधार वर्ष भिन्न है एक आन्तरिक आधार वर्ष 1969=100 के हिसाब से "इंडियन लेबर जर्नल" में प्रकाशित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक ही अवधि से तुलना करके प्रत्येक केन्द्र में होने वाली कीमत के परिवर्तन का अनुमान लगाया जा सके। इसका सही तरीका यह है कि नई आधार अवधि के लिए सूचकांक तैयार करने के लिए इनका फिर से परिकलन किया जाय।

उपभोक्ता सूचकांक के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण:-

1. यह एक औसत होता है।
2. सूचकांक एक अनुमान मात्र होता है।
3. केन्द्र क्षेत्र विशेष जनसंख्या वर्ग पर लागू होता है।
4. यह निर्वाह खर्च के स्थान पर कीमतों को दर्शाता है।
5. खर्च के स्वरूप, अभिरूचि आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का सूचकांक में ध्यान नहीं रखा जाता है।
6. आधार अवधि में जनसंख्या वर्ग के द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं के कीमत परिवर्तनों के प्रभाव पर ध्यान देता है।
7. सूचकांक में विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है।
8. कीमतों या मंहगाई के सापेक्षित स्तर को सूचित करने के लिए दो विभिन्न केन्द्रों के

सूचकांकों की तुलना नहीं की जा सकती है।

9. सूचकांक केवल कीमत परिवर्तनों को आंकता है, कीमतों के निरपेक्ष स्तर को नहीं।
10. थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा व्यक्त की जाने वाली प्रवृत्तियाँ एक जैसी होनी जरूरी नहीं हैं।

उपभोक्ता सूचकांक की संगणना की जाती है और इसकी घोषणा 5 सप्ताह के अन्तराल बाद की जाती है। सूचकांक की संगणना "लास्परेज फार्मूला" लास्परेज सूत्र के आधार पर की जाती है सूत्र निम्नांकित है-

$$\text{Index} = \frac{\sum P_N Q_0}{\sum P_0 Q_0} \text{ or } \frac{\sum P_N P_0 Q_0}{\sum P_0 Q_0}$$

Index = सूचकांक

P_0 = आधार वर्ष की कीमत

P_N = चालू मास की कीमत

Q_0 = आधार वर्ष में वह वस्तु कितनी मात्रा में प्रयोग की गई। सभी वस्तुओं के योगफल सहित

= दिये गये वस्तुओं का मूल्य संबन्ध प्रकट करता है।

$P_0 Q_0$ = आधार वर्ष में वस्तुओं पर किये गये खर्च प्रकट करता, जिसे भार की संज्ञा दी गई है।

यहां केवल लास्पेज सूत्र का जिक्र भर है। सूचकांक निकालने की पद्धति पर विस्तृत प्रकाश डाला जा चुका है।

वेतन व मंहगाई भत्ता :-

बढ़ती मंहगाई का प्रभाव कर्मचारियों के दैनिक जीवन पर पड़ता है। जितना वेतन उसे मिलता है उससे उसका गुजारा नहीं हो पाता। रुपये के अवमूल्यन के कारण यह समस्या और जटिल हो जाती है। इसलिए कर्मचारियों का समय समय पर वेतन पुनरीक्षण साथ ही कुछ मंहगाई भत्ते की व्यवस्था की जाती है। इसका सम्बन्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। असंगठित मजदूरों खासतौर से खेतिहर मजदूर, होटल में काम करने वाले कर्मचारी, ग्रामीण मजदूर, बाल व महिला कर्मचारी तो इससे वंचित रहकर भीषण शोषण का शिकार हैं। सरकार यदि कुछ नियम व कानून बनाती है तो धन पिथासु सेवायोजक उसमें से भी रास्ता निकालकर निरन्तर शोषण करते रहते हैं। भारत के संविधान धारा 43 A में यद्यपि कर्मचारियों के वेतन का स्पष्ट उल्लेख है किन्तु वह मात्र उल्लेख ही रह गया है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। यदि किसी संगठन ने चिंता भी की तो वह भी कोई विशेष परिणाम कारक सिद्ध नहीं हुई। स्पष्ट रूप से कहा जाय तो कर्मचारियों के वेतन से उनकी आवश्यक आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं। मजदूर संगठनों ने राष्ट्रीय वेतन

नीति निर्धारण करने की मांग की किन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। यह बात सही है कि राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारण करने के साथ कई मुद्दे और जुड़ जायेंगे जिसका विस्तृत विवरण यहां देना सम्भव नहीं है साथ ही इस मुद्दे की विस्तृत चर्चा के कारण विषयान्तर भी हो जायेगा। इसलिए केवल संकेत मात्र किया जा रहा है।

मजदूर भी वर्षों से अन्याय सहन कर रहा है, इसलिए वह अन्याय सहन करने का आदी हो गया है, ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा या यह कहा जाय कि "मरता क्या न करता" अप्रिय अवश्य है किन्तु सत्य को नकारा नहीं जा सकता है। राज्य सरकारों ने भी कुछ 'शेड्यूल्ड' इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों के वेतन तय करने के लिए "न्यूनतम वेतन सलाहकार समितियों" का गठन किया है। समितियां सरकार द्वारा निश्चित इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते पर विचार करके अपनी अनुशंसायें राज्यपाल को भेजती हैं। और राज्यपाल के आदेश पर राज्याज्ञायें प्रसारित होती हैं। समितियां जिसमें सेवायोजकों के साथ श्रम संगठनों के प्रतिनिधि भी रहते हैं उद्योग के भुगतान की क्षमता देखकर वेतन व मंहगाई भत्ते की अनुशंसा करती है। अनुशंसा करते समय समान काम का समान वेतन का सिद्धांत ध्यान में नहीं रहता है। इस कारण एक ही समिति अलग-अलग वेतन दरों व मंहगाई भत्ते की अनुशंसा करती हैं। इसलिए शेड्यूल्ड इन्डस्ट्रीज के कर्मचारियों के वेतन में विषमता रहना स्वाभाविक है। शेड्यूल्ड इन्डस्ट्रीज में नये-नये उद्योगों को समय समय पर शामिल किया जाता है, जिससे इनकी संख्या बढ़ती रहती है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन में तो अन्तर रहता ही है, साथ ही साथ मंहगाई भत्ते की दरों में भी अन्तर रहता है। कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनके कर्मचारियों के लिए केवल न्यूनतम वेतन ही निश्चित किया जाता है। केन्द्र सरकार भी समय समय पर कुछ उद्योग के कर्मचारियों का वेतन घोषित करती है। घोषणा कुछ भी हो किंतु विषमता रहना स्वभाव बन गया है।

घोषित वेतन भी यदि कर्मचारियों को मिल जाय तो बहुत बड़ी बात है। श्रमिकों को उसके लिए भी आन्दोलन करना पड़ता है। भारतीय मजदूर संघ ने असंगठित मजदूरों की ओर विशेष ध्यान दिया है। महाराष्ट्र में घरेलू कामगारों को अनेक प्रकार की सुविधायें दिलाने में सफल हुआ है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कराने में सफलता प्राप्त की है।

न्यूनतम वेतन निर्धारण में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सहारा लिया जाता है। माना कि जो वेतन पहले तय हुआ था वह 600 रुपये था और उस समय मंहगाई के अंक 400 था। इसका सीधा अर्थ हुआ कि वेतन निर्धारण 1 रु. 50 पैसा प्रति अंक की दर से किया गया। माना कि 400 अंक से आगे मंहगाई के अंक बढ़ने पर 50 पैसा प्रति अंक मंहगाई भत्ता तय किया गया है और मंहगाई के अंक बढ़कर 425 हो गये तो 25 बढ़े अंक पर 12 रु. 50 पैसा मंहगाई भत्ता कर्मचारी को मिलेगा। यहां यह बात स्पष्ट हो गई है कि वेतन निर्धारित करते समय प्रति अंक न्यूट्रलाइजेशन 1 रु. 50 पैसा की दर से तथा मंहगाई भत्ते का निर्धारण 50 पैसा प्रति अंक की दर से किया गया।

माना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़कर 500 अंक हो गये और कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षित करना है और पहला वेतन भी 600 रु. + 50 रु. मंहगाई भत्ता = 650 रु. हो गया है। नया वेतन मान तय करते समय 1 रु. 25 पैसा प्रति अंक न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। तो 500 (अंक) x 1 रु. 25 पैसा = 625 रु. और 50 एक निश्चित राशि मंहगाई भत्ते के रूप में दी गई तो एक प्रकार से कर्मचारी का वेतन 675 रु. हो गया। इसके (500 अंक) बाद प्रति अंक 75 पैसा मंहगाई भत्ता दिया गया। बढ़े हुए अंक पर तो यहां भी वेतन निर्धारण करते समय प्रति अंक न्यूट्रलाइजेशन की दर से 1 रु. 25 पैसा और मंहगाई भत्ते की दर से 75 पैसा प्रति अंक है। यह अन्तर उचित नहीं है, किन्तु यह प्रथा चली आ रही है, इसे बदलने का प्रयास करना चाहिए।

शत-प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन :-

श्रमिक प्रतिनिधि वेतन समझौता वार्ता के समय जो वेतन उस समय रहता है उसके शत प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं इसके सूत्र का संकेत मात्र यहां उल्लेख करना आवश्यक समझकर ही उल्लेख किया गया है।

माना कि 600 अंक पर 900 रु. न्यूनतम वेतन एक वर्ष पूर्व तय किया गया था और एक वर्ष बाद जब वेतन समझौता वार्ता प्रारम्भ हुई तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़कर 600 के स्थान पर 700 हो गये तो शत-प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा?

$$\text{सूत्र - द} = \frac{\text{स (अ-ब)}}{\text{ब}} + \text{स}$$

यहां 'स' का तात्पर्य पूर्व में तय किया गया वेतन और 'अ' का अर्थ है वर्तमान चालू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा 'ब' का अर्थ है जिस अंक पर वेतन तय किया गया था। 'द' का तात्पर्य शत-प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन से है।

$$\text{द} = \frac{\text{पहले तय किया गया वेतन}}{\text{पूर्व अंक}} \times \frac{\text{वर्तमान अंक} - \text{पूर्व अंक}}{\text{पूर्व अंक}} + \text{पहले का वेतन}$$

$$\text{द} = \frac{900}{600} \times \frac{(700 - 600)}{600} + 900$$

$$\text{द} = \frac{900}{600} \times \frac{(700 - 600)}{600} + 900$$

$$\text{द} = \frac{630000}{600} \times \frac{100}{600} + 900$$

$$\text{द} = \frac{90000}{600} + 900$$

$$\text{द} = 150 + 900$$

$$\text{शत प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन} = 1050$$

यों तो यह बात बहुत आसान है कि जब अंक 600 से बढ़कर 700 हो गये तो 100 अंक की वृद्धि हुई अर्थात् अंको में 1/6 की वृद्धि हुई तो 900 रु. वेतन की भी 1/6 वृद्धि होनी चाहिए अर्थात् 150 रु. सहित 1050 रु. वेतन होना चाहिए। यदि अंको की वृद्धि विषम संख्या में होगी और वेतन भी विषम संख्या में होंगे तो इस सूत्र का सहारा लिया जा सकता है। विषम संख्या का उदाहरण-माना कि 719 अंक पर 1327 रु. वेतन तय किया गया था और मंहगाई के अंक बढ़कर 967 हो गये हैं तो शत-प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए उपरोक्त सूत्र का सहारा लेना अनिवार्य होगा।

केन्द्रीय व राज्य कर्मचारी

केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति राज्य कर्मचारियों को भी मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1 जनवरी 1986 से किया गया। मंहगाई भत्ते की पहली किस्त 1 जुलाई 1986 को दी गई। वर्तमान समय 15 वीं किस्त का भुगतान 97 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है। जिसका अर्थ है जिस श्रेणी के कर्मचारी का जितना न्यूनतम वेतन होगा उसी न्यूनतम वेतन का 97 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलेगा।

मंहगाई भत्ते की किस्तें जनवरी से जून व जुलाई से दिसम्बर के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के छः-छः माह के औसत अंक पर तैयार की जाती हैं। 6 माह के औसत अंक में से 608 अंक (इसी अंक पर 750 रु. न्यूनतम वेतन तय किया गया) घटा कर जो शेष बचता है उसे 6.8 से भाग देकर प्रतिशत निकाल लिया जाता है। 608 अंक = 100 मानकर एक प्रतिशत बराबर 6.8 अंक निकाला गया है।

आधार वर्ष 1982=100 के अनुसार जनवरी का अंक 241 फरवरी का अंक 243, मार्च का अंक 243, अप्रैल का अंक 245, मई का अंक 246 तथा जून का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 250 था। इसे आधार वर्ष 1960=100 में बदलने पर-

आधार वर्ष	1982 के अंक	आधार वर्ष 1960 के अंक
जनवरी	241	$241 \times 4.93 = 1188.13$
फरवरी	243	$243 \times 4.93 = 1197.99$
मार्च	243	$243 \times 4.93 = 1197.99$
अप्रैल	245	$245 \times 4.93 = 1207.85$
मई	246	$246 \times 4.93 = 1212.78$
जून	250	$250 \times 4.93 = 1232.50$
		<u>योग = 7237.24</u>

छः माह के अंको का जोड़ 7237.24 आया जिसे राउण्ड फिगर में 7237 माना जाएगा, जिसे औसत अंक निकालने के लिए 6 से विभाजित किया जायेगा, जो 1206 औसत अंक के रूप में प्राप्त होगा। 1206 औसत अंक में से 608 अंक जिस पर वेतन निर्धारित किया गया था और इससे कितना अंक बढ़ा घटाये जाने पर 598 अंक आयेगा। इसी 598 अंक को जब 6.8 (एक प्रतिशत मंहगाई भत्ता माप) से विभाजित करेंगे तो 98 प्रतिशत आयेगा। केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों को 98 प्रतिशत के स्थान पर केवल 97 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है जो एक प्रतिशत कम है। इसी प्रकार 44 लाख केन्द्रीय व इससे कहीं अधिक राज्य कर्मचारियों को एक प्रतिशत मंहगाई भत्ता कम मिल रहा है। इससे कर्मचारियों को करोड़ों रुपये की मंहगाई भत्ते की क्षति उठानी पड़ रही है। खेद है कि कर्मचारी भी जो मिल रहा है उसी पर सन्तोष किए हुए हैं। इसे कर्मचारियों की उदासीनता और सरकार की चालाकी कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा।

बैंक बीमा व वित्तीय संस्थान कर्मचारी

बैंक बीमा व वित्तीय संस्थान कर्मचारी को मंहगाई भत्ता दोहरी लिंकिंग पद्धति से दिया जा रहा है। कर्मचारियों का मूल वेतन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1960 पर दिया जाता है। 4 अंक बढ़ने पर एक किस्त बढ़ती है। इनका वेतन निर्धारण 600 अंको पर किया गया था। इस समय जो मंहगाई भत्ता इन कर्मचारियों को मिल रहा है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1208 पर है। प्रत्येक 3 माह में यह देखा जाता है कि अंक कितने बढ़े हैं। 3 माह का औसत अंक कितना है। आम तौर पर औसत अंक वर्ष के फरवरी मई व अगस्त और नवम्बर माह में पता लगाये जाते हैं। इन्हीं महीनों के अन्दर मंहगाई का उतार चढ़ाव भी होता है। इन्हीं माह के अंको पर बैंक, बीमा और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। मूल वेतन रु. 900 से 2500 तक शत-प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलता है। इसके आगे 3250 रु. मूल वेतन का 75 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन और 3250 से जब मूल वेतन ज्यादा होता है तो मूल वेतन का 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिलता है। बैंक कर्मचारियों की वेतन श्रेणियां अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 600 अंको पर तय है। इसलिए प्राप्त आंकड़ों पर बेसिक वेतन के .67 प्रतिशत प्रति स्लैब की दर से प्रत्येक स्लैब का मंहगाई भत्ता निकाला जाता है। 2500 से 3250 के वेतन के दरम्यान के मूल वेतन पर .55 प्रतिशत प्रति स्लैब, उसके ऊपर प्राप्त मूल वेतन पर .33 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाता है। उदाहरण के लिए

4 अंक के एक स्लैब का $2500 \times .67$

2500 से 3250 (750 अन्तर) $750 \times .55$

3250 से ऊपर (जो अन्तर होगा) अन्तर $\times .33$

इसी संगणना की दर से बैंक और बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ते का भुगतान होता है।

केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान

केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण करते समय प्रति अंक न्यूट्रलाइजेशन और भुगतान के समय प्रति अंक न्यूट्रलाइजेशन में अन्तर रहता है। कभी दोनों समान दर पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं किए गये। श्रमिक संगठनों की तथा श्रमिकों की इसके लिए बराबर शिकायत बनी रही। इस समय उन्हें बढ़े हुए प्रति अंक पर 2/- रु. मंहगाई भत्ता मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को किस प्रकार मंहगाई भुगतान किया जाय, 4 साल पूर्व एक समिति का गठन किया गया था जिसे डी.ए. कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस समिति की अनेक बैठकें हुई, किन्तु कोई समाधान कारक हल नहीं निकला। काफी समय बीत जाने के बाद अन्त में 2/- रु. प्रति अंक की दर से 800 अंको के बाद 1 जन. 89 से भुगतान करने की सरकार ने घोषणा की। साथ ही सरकार ने सिद्धांत तौर पर यह बात स्वीकार किया कि मंहगाई भत्ते की भुगतान के लिए नयी स्लैब व्यवस्था लागू की जाय। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी श्रम संगठनों से नई स्लैब व्यवस्था के लिए राय मांगी थी। मंहगाई भत्ते की स्लैब व्यवस्था केन्द्रीय श्रम संगठनों की पुरानी मांग थी। केन्द्र सरकार और श्रम मंत्रालय ने पिछले चार वर्षों में कई बार आश्वासन भी दिए कि वह स्लैब सिस्टम पर अमल करेगी। आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आई.एन.टी. यू.सी. भारतीय मजदूर संघ, सी. आई. टी. यू. एटक, तथा एच.एम.एस. ने मिल करके नई स्लैब व्यवस्था का खाका तैयार करके दिया है। इसके अनुसार 1800 तक प्रति अंक 2/- रु. तथा 1801 से 2200 रु. तक प्रति बिन्दु 2 रु. 50 पैसे, 2201 से 2600 तक प्रति बिन्दु पर 3 रु., 2601 से 3000 रु. पर प्रति बिन्दु 3.50 पैसे, 3001 से 3400 रु. पर प्रति बिन्दु 4 रु., 3401 से 3800 रु. प्रति बिन्दु 4 रु. 50 पैसे, 3801 से 4200 पर प्रति बिन्दु 5 रु. की वृद्धि होनी चाहिए। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नई स्लैब व्यवस्था की परिकल्पना के लिए 1 जनवरी 1992 के मूल वेतन आदि का आधार बनाया जायेगा। इस आधार पर मजदूर संगठनों के सर्वसम्मत प्रस्तावों को वरीयता दी जाएगी। चूंकि निर्णय नहीं हुआ है, किन्तु स्लैब सिस्टम के भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलने की संभावना अधिक है। स्लैब सिस्टम तय करने के लिए उक्त वेतन सीमाओं में 1 जनवरी 1992 को मिल रहे सभी मंहगाई भत्ते (फिक्स डी. ए. और वैरियेबुल डी. ए.) समाहित रहेंगे। इस प्रकार मूल वेतन + वैरियेबुल डी. ए. से विभिन्न श्रेणियों का स्लैब बनाया जायेगा।

ALL INDIA CONSUMER PRICE INDEX BASE YEAR 1960=100

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1960=100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वर्ष	जन.	फ.	मा.	ज.	मई	जून	जु.	अग.	सि.	अक्टू.	नव.दिस.	औस.	
1961	101	101	102	102	103	105	105	105	105	105	105	105	104
1962	105	105	105	105	106	107	109	109	109	110	109	108	107
1963	107	106	107	108	109	110	111	112	113	114	114	115	111
1964	115	117	118	119	121	124	127	128	131	134	134	135	125
1965	136	133	124	132	133	134	138	140	142	142	142	142	137
1966	142	143	143	144	149	152	155	156	158	158	160	162	152
1967	162	163	165	166	179	174	175	177	176	179	178	176	173
1968	181	179	175	176	175	176	176	178	180	180	176	171	177
1969	170	169	170	171	173	178	180	180	180	178	177	177	177
1970	177	177	179	181	183	185	186	187	188	189	189	186	184
1971	184	184	184	184	184	187	190	194	196	196	197	195	190
1972	194	190	194	195	196	201	205	207	208	209	210	210	202
1973	210	212	216	221	228	233	243	247	248	254	259	260	236
1974	264	267	275	283	294	301	311	321	334	331	331	336	304
1975	326	325	331	323	327	328	324	321	319	315	315	306	321
1976	298	290	286	289	290	291	297	298	302	304	306	306	296
1977	307	310	312	313	318	320	325	327	331	330	330	330	321
1978	325	320	321	322	323	327	330	331	336	340	340	335	329
1979	332	329	332	337	339	345	353	360	363	365	368	374	350
1980	371	369	373	375	382	386	394	397	402	404	441	408	390
1981	411	412	420	427	433	439	447	454	456	460	462	460	441
1982	459	458	457	459	462	470	478	488	489	491	496	457	475
1983	495	500	502	508	521	533	541	547	554	558	561	559	532
1984	563	561	558	559	562	574	585	586	589	592	595	588	576
1985	588	585	588	594	600	606	615	618	619	625	630	630	608
1986	629	633	638	643	651	658	668	672	676	676	692	630	661
1987	688	686	686	691	703	715	724	736	745	750	755	752	719
1988	753	749	753	763	775	782	795	800	806	823	828	818	786
1989	813	813	818	823	833	838	848	857	867	868	868	862	842

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)

ALL INDIA CONSUMER PRICE INDEX BASE YEAR 1982=100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वर्ष	जन.	फ.	मा.	अ.	मई	जून	जु.	अग.	सि.	अक्टू.	नव.	दिस.	औस.
1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	168	166 16.7
1989	165	165	166	168	169	170	172	174	176	176	176	175	17.1
1990	174	175	177	180	182	185	189	190	191	195	198	199	18.6
1991	202	202	201	202	204	209	214	217	221	223	225	225	21.2
1992	228	229	229	231	234	236	242	241	243	244	244	243	23.7
1993	241	242	243	245	246	250	253	256	259	262	265	-	-

आधार वर्ष 1960 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 1982=100 के सूचकांक में 4.93 से गुणा करना होगा।

Multiply C.P.I. (Base year 1982=100) by 4.93 to get C.P.I. base year 1960=100.

लेबर ब्यूरो की नई श्रृंखला के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1982=100 के केन्द्रवार गुणकसूत्र

	क्र. सं०	स्थान		गुणकसूत्र
आन्ध्र प्रदेश	1.	गुडूर	1960=100	4.33
	2.	गुन्दूर	1960=100	5.60
	3.	हैदराबाद	1960=100	5.23
	4.	विशाखापत्तनम	-	-
	5.	बारंगल	-	-
आसाम	6.	डुमडुमा तिनसुकिया	1960=100	4.05
	7.	गुवाहाटी	-	-
	8.	लेबेक सिलचर	1960=100	3.96
	9.	मरियानी जोरहाट	1960=100	3.95
	10.	रंगापारा तेजपुर	1960=100	4.29
बिहार	11.	जमशेदपुर	1960=100	4.68
	12.	झरिया	1960=100	4.63
	13.	कोडरया	1960=100	5.43
	14.	मुंगेर जमालपुर	1960=100	5.29
	15.	नोवा मुंडी	1960=100	4.58
	16.	रांची-हटिया	-	-
गुजरात	17.	अहमदाबाद	1960=100	4.78
	18.	बरोडा	-	-
	19.	भावनगर	1960=100	4.99
	20.	राजकोट	-	-
	21.	सूरत	-	-
हरियाना	22.	फरीदाबाद	-	-
	23.	यमुना नगर	1960=100	5.53
जे एण्ड के	24.	श्री नगर	1960=100	5.47
कर्नाटक	25.	बंगलौर	1960=100	5.66
	26.	बेलगाम	-	-
	27.	हुबली धारवाड़	-	-
	28.	मरकारा	-	-
केरला	29.	आलवे	1960=100	5.19

	30.	मुन्दकायम	1960=100	4.67
	31.	क्वीलन	-	-
	32.	त्रिवेन्द्रम	-	-
मध्यप्रदेश	33.	बालाघाट	1960=100	5.24
	34.	भिलाई	1960=100	3.49
	35.	भोपाल	1960=100	5.46
	36.	इन्दौर	1960=100	5.18
	37.	जबलपुर	1949=100	6.41
	38.	बम्बई	1960=100	5.12
	39.	नागपुर	1960=100	4.99
	40.	नासिक	1960=100	-
	41.	पूना	-	-
	42.	सोलापुर	1960=100	5.03
उड़ीसा	43.	बरबिल	1960=100	5.00
	44.	राउरकेला	1966=100	3.59
पंजाब	45.	अमृतसर	1960=100	5.19
	46.	लुधियाना	-	-
राजस्थान	47.	अजमेर	1960=100	5.01
	48.	जयपुर	1960=100	5.17
तमिलनाडु	49.	कोयम्बटूर	1960=100	5.35
	50.	कोनूर	1960=100	4.80
	51.	मद्रास	1960=100	5.05
	52.	मदुराई	1960=100	5.27
	53.	सैलम	-	-
	54.	त्रिचिरापल्ली	-	-
उत्तर प्रदेश	55.	आगरा	-	-
	56.	गाजियाबाद	-	-
	57.	कानपुर	1960=100	4.69
	58.	सहारनपुर	1960=100	5.06
	59.	वाराणसी	1960=100	5.12
पश्चिमी बंगाल	60.	आसनसोल	1960=100	4.77
	61.	कलकत्ता	1960=100	4.74
	62.	दारजिलिंग	1960=100	4.55

	63.	दुर्गापुर	-	-
	64.	हल्दिया	-	-
	65.	हावड़ा	1960=100	4.12
	66.	जलपाईगुरी	1960=100	4.16
	67.	रानीगंज	1960=100	4.40
चण्डीगढ़	68.	चण्डीगढ़	-	-
दिल्ली	69.	दिल्ली	1960=100	4.97
	70.	पांडिचेरी	-	-

हिमांचल, त्रिपुरा, गोवा, भीलवाड़ा, छिन्दवाड़ा और कोठा गुण्डम का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अतिरिक्त श्रृंखला आधार वर्ष 1982=100 का गुणक सूत्र।

क्र. सं०	राज्य/केन्द्र	आधारवर्ष	गुणक सूत्र
अ.	हिमांचल प्रदेश	1965=100	3.75
ब.	त्रिपुरा	1961=100	4.37
स.	गोवा	1966=100	3.40
द.	भीलवाड़ा	1966=100	3.20
य.	छिंदवाड़ा	1966=100	2.59
र.	कोठा गुण्डम	1966=100	3.25

औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अन्य केन्द्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1960=100 के गुणक सूत्र

राज्य/केन्द्र	नयी सीरीज का आधार यदि है तो	गुणक सूत्र
आसाम		
डिगवोई	-	-
कर्नाटक		
अम्माठी	-	-
चिकमंगलूर	-	-
कोलार गोल्ड फील्ड	जुलाई 1935 से जून 1936=100	4.58
केरल		
अलेप्पी	अगस्त 1939=100	4.39
मध्य प्रदेश		
न्वालियर	1951=100	1.12

उड़ीसा		
सम्भलपुर		
कटक	1944=100	1.47
बरहामपुर	1944=100	1.54

कटक और बरहामपुर के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1949=100 को स्थानान्तरित किया गया।

खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष (जुलाई 1960 से जुलाई 1961) का गुणक सूत्र

क्रम सं०	राज्य	गुणक सूत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.18
2.	आसाम	1.12
3.	बिहार	0.89
4.	गुजरात	1.19
5.	जम्मू एण्ड काश्मीर	1.05
6.	कर्नाटक	1.16
7.	केरला	1.11
8.	मध्य प्रदेश	1.06
9.	महाराष्ट्र	1.01
10.	उड़ीसा	1.09
11.	पंजाब	1.01
12.	राजस्थान	0.98
13.	तमिलनाडु	1.18
14.	उत्तर प्रदेश	1.00
15.	पश्चिम बंगाल	1.08

आसाम के अंक -मनीपुर, मेघालय और त्रिपुरा को मिलाकर निकाले गये हैं

पंजाब के अंक-दिल्ली, हरियाणा व हिमांचल प्रदेश को मिलाकर हैं।

आधार वर्ष 1950-51=100 के अंकों की जानकारी, आधार वर्ष 1960-61=100 के अंकों में उपरोक्त गुणक सूत्र में गुणा करके 1950-51=100 की जा सकती है।

शहरी गैर दस्तकार (कायिक) कर्मचारियों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किये जाते हैं। ऐसे कुल उपस्थान (केन्द्र) हैं। गुणक सूत्र 1984-85=100 और 1960=100

को एक दूसरे से तालमेल बनाए रखने के लिए 5.32 है।

थोक बिक्री मूल्य सूचकांक

थोक बिक्री वाले मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 1970-71=100 है।

इस प्रकार औद्योगिक कर्मचारियों, खेतिहर मजदूरों, गैर दस्तकार (कायिक) शहरी मजदूरों, थोक बिक्री सम्बन्धी मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं। किन्तु यहां पर औद्योगिक मजदूरों का विस्तृत विवरण दिया गया है। और औद्योगिक कर्मचारियों व खेतिहर मजदूरों के गुणक सूत्र दिए गये हैं।

देश में प्रचलित तीन प्रकार के महंगाई भत्ते का तुलनात्मक विवरण

Pay	Per Point Increase			%Age Neutralization		
	BDA	CDA	IDA	BDA	CDA	IDA
750	1.26	1.23	2.00	-	100.00%	-
850	1.42	1.40	2.00	100.50%	100.00%	-
950	1.59	1.56	2.00	100.50%	100.00%	-
1050	1.76	1.73	2.00	100.50%	100.00%	125.52%
1150	1.93	1.89	2.00	100.50%	100.00%	114.61%
1250	2.09	2.06	2.00	100.50%	100.00%	105.44%
1450	2.43	2.38	2.00	100.50%	100.00%	90.90%
1650	2.76	2.71	2.00	100.50%	100.00%	79.88%
1850	3.10	3.04	2.00	100.50%	100.00%	71.24%
2050	3.43	3.37	2.00	100.50%	100.00%	64.29%
2250	3.77	3.70	2.00	100.50%	100.00%	58.58%
2450	4.10	4.03	2.00	100.50%	100.00%	53.80%
2650	4.39	4.36	2.00	99.48%	100.00%	49.74%
2850	4.67	4.69	2.00	98.29%	100.00%	46.25%
3050	4.94	5.02	2.00	97.25%	100.00%	43.21%
3250	5.22	5.35	2.00	95.35%	100.00%	42.15%
3450	5.49	5.76	2.00	95.54%	100.00%	39.71%
3650	5.77	5.76	2.00	94.83%	95.89%	37.53%
3850	6.04	5.76	2.00	94.19%	90.91%	35.58%
4050	6.29	5.76	2.00	93.20%	86.42%	33.83%
4250	6.46	5.76	2.00	91.15%	82.35%	32.24%
4450	6.55	5.76	2.00	88.25%	78.65%	30.79%
4650	6.63	5.76	2.00	85.55%	-75.27%	29.46%
4850	6.72	5.98	2.00	83.08%	75.00%	28.25%
5050	6.80	6.23	2.00	80.80%	75.00%	27.13%
5250	6.89	6.48	2.00	78.69%	75.00%	26.10%
5450	6.97	6.72	2.00	76.74%	75.00%	25.14%
5650	7.06	6.97	2.00	74.92%	75.00%	24.25%
5850	7.14	7.22	2.00	73.23%	75.00%	23.42%
6050	7.23	7.40	2.00	71.66%	74.38%	22.64%
6250	7.31	7.40	2.00	70.18%	72.00%	21.92%
6450	7.40	7.40	2.00	68.79%	69.77%	21.24%
6650	7.48	7.40	2.00	67.49%	67.67%	20.60%
6850	7.57	7.40	2.00	66.26%	65.69%	20.00%
7050	7.65	7.54	2.00	65.11%	65.00%	19.43%
7250	7.74	7.75	2.00	64.02%	65.00%	18.90%
7450	7.82	7.96	2.00	62.98%	65.00%	18.39%

7650	7.91	8.18	2.00	62.00%	65.00%	17.91%
7850	7.99	8.39	2.00	61.07%	65.00%	17.45%
8050	8.08	8.61	2.00	60.19%	65.00%	17.02%
8250	-	8.82	2.00	-	65.00%	16.61%
8450	-	9.03	2.00	-	65.00%	16.21%
8650	-	9.25	2.00	-	65.00%	15.84%
8850	-	9.46	2.00	-	-	15.48%
9050	-	9.68	2.00	-	-	15.14%
9250	-	-	2.00	-	-	14.81%
9450	-	-	2.00	-	-	14.50%
9650	-	-	2.00	-	-	14.20%
9850	-	-	2.00	-	-	13.91%
10000	-	-	2.00	-	-	13.70%

संदर्भ पुस्तकें

इस पुस्तक को तैयार करने के लिए "रिपोर्ट आफ दी कमेटी आन कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर्स 1978", "रिपोर्ट आफ दी कमेटी आन कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर्स प्रकाशन 1981"-श्रम मंत्रालय भारत सरकार, "प्राब्लम लिंकिंग डिफरेंटली बेटेज इन्डाइसेज"-लेखक एच. जी. गुप्ता, "रिलीज आफ न्यू सिरीज आफ कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स नम्बर फार इन्डस्ट्रियल वर्कर आन बेस 1982 = 100", "कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स एन एटानमी", प्रकाशन लेबर व्यूरो चण्डीगढ़, तथा लेबर व्यूरो शिमला एवं लेबर व्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय गोविन्द नगर कानपुर से सहयोग प्राप्त हुआ है। इस सहयोग के लिए हम इन सभी के बहुत ही आभारी हैं।

इन सभी प्रकाशनों का एक मात्र उद्देश्य कर्मचारियों तथा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जानकारी देना है। वही प्रयास हमारा भी है।

कर्मचारी बन्धु इसे पढ़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विषय में जानकारी करेंगे इसलिए हम उनके भी आभारी हैं।

- रामप्रकाश मिश्र